



राजस्थान विधि सेवा परिषद

स्थापना : 1982

कार्यालय :- कमरा नं. 5035, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)

जितेन्द्र सिंह

अध्यक्ष

7014347174, 9461302549

क्रमांक : राज.वि.से.प./34

ज्ञापन

दिनांक : 18/10/2021

सेवा में,

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय,
कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय :- राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा संवर्ग के अधिकारियों के वर्तमान वेतनमान की विसंगतियों को दूर कर, केन्द्रीय विधि सेवा/राजस्थान की अन्य समकक्ष सेवाओं को मिल रहे वेतनमान के समान वेतन निर्धारण बाबत्।

संदर्भ :- वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प. 7 (4) वित्त/नियम/2021 जयपुर, दिनांक 05.08.2021 के संदर्भ में।

मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश के क्रम में राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा के संबंध में विनम्र निवेदन है कि राजस्थान राज्य में बढ़ते हुये राजकीय वादकरण को दृष्टिगत रखते हुये, वादकरण के सुचारु संचालन, निस्तारण एवं प्रभावी नियन्त्रण हेतु, सिफारिश देने बाबत् राज्य सरकार द्वारा विख्यात विधिवेत्ता डॉ० एल. एम. सिंघवी की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी। तदुपरान्त राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1981 में, राजस्थान में विधि सेवा का विधिवत गठन किया गया।

तत्समय राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा के अधिकारियों का वेतनमान निम्नानुसार था :-

पदनाम	वर्ष 1983 से पूर्व का वेतनमान (रूपये में)	वर्ष 1983 में संशोधित वेतनमान (रूपये में)
विधि सहायक (अब कनिष्ठ विधि अधिकारी)	500 - 890	660 - 1240 (L-13)
मुख्य विधि सहायक (अब वरिष्ठ विधि अधिकारी)	620 - 1100	820 - 1550 (L-17)
सहायक विधि परामर्शी	930 - 1500	1210 - 2040 (L-20)
उप विधि परामर्शी	1400 - 1900	1750 - 2500 (L-24)


18/10/2021

विधि सेवा के गठन के समय रागिति द्वारा उच्चतर वेतनमान की सिफारिश की गई थी, किन्तु राज्य सरकार द्वारा तत्समय वह वेतनमान न प्रदान कर, इन्हें सिफारिश से कम वेतनमान स्वीकृत किया गया। राज्य सरकार द्वारा तत्समय जिन सेवाओं के समान विधि सेवा के अधिकारियों का वेतनमान स्वीकृत किया गया था, उन सेवाओं का वेतनमान आज विधि सेवा अधिकारियों से अधिक है। यही नहीं जिन सेवाओं का वेतनमान उस वक्त विधि सेवा अधिकारियों से कम था, आज उनका भी वेतनमान, विधि सेवा अधिकारियों से अधिक है। इस प्रकार विधि सेवा के वेतन निर्धारण में भेदभाव हुआ है तथा रामानता के मौलिक अधिकार का भी हनन हुआ है। यही कारण है कि विधि सेवा से, अधिकारियों का अन्य सेवाओं में लगातार पलायन भी होता रहता है। वेतनमान में यह भेदभाव विधि सेवा के अधिकारियों के लिए मानसिक रूप से अत्यंत पीड़ादायक है एवं इससे विधि अधिकारियों की कार्यकुशलता भी प्रभावित होती है।

वर्तमान में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे वादकरण की स्थिति में, विधि सेवा के अधिकारीगण, सेवा के गठन के उद्देश्यों से भी अधिक अपेक्षित कार्य निष्पादित कर रहे हैं। इनके प्रभावी कार्य संपादन से राज्य सरकार, प्रशासनिक विभाग, विभागाध्यक्ष, बोर्ड, परिषद, राजकीय उपक्रम, स्थानीय निकाय आदि समस्त स्तर लाभान्वित हो रहे हैं। सेवा के अधिकारी विपरीत परिस्थितियों में रह कर भी राज्य के हितों की संरक्षा कर रहे हैं, जबकि वादकरण संबंधी कार्य में दिन-प्रतिदिन अत्यधिक वृद्धि होती जा रही है।

राज्य में राज्य सरकार, विभागाध्यक्ष एवं अन्य अधीनस्थ कार्यालयों में पदस्थापित विधि सेवा के अधिकारीगण द्वारा वादकरण संबंधी समस्त कार्य संपादित किये जा रहे हैं। वादकरण का संचालन, वाद पत्र, जबाव दावों की विधिक्षा, न्यायिक निर्णयों का परीक्षण, विधायी प्रारूपण, नियम/अधिनियमों में संशोधन, LITES वेबसाइट्स का संधारण, विधिक राय हेतु प्राप्त होने वाली पत्रावलियों पर नियम, अधिनियम की व्याख्या कर विधिक राय प्रदत्त करना इत्यादि कार्य संपादित करना विधि सेवा के अधिकारियों का कर्तव्य है। (कार्य संबंधी आदेश परिशिष्ट 'अ 1-4')

राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा के अधिकारियों को वर्तमान में प्रदान किये जा रहे वेतनमान, उनकी योग्यता एवं कार्य की प्रकृति को देखते हुए, किसी भी प्रकार से समुचित नहीं हैं, जबकि विधि सेवा से कम शैक्षणिक योग्यता एवं कम महत्वपूर्ण कार्य निष्पादित करने वाली सेवाओं के वेतनमान राजस्थान विधि सेवा के वेतनमान से उच्चतर स्थिति में हैं।

पांचवें वेतन आयोग के लागू होने से पूर्व तक कुछ सेवाओं के वेतनमान, राजस्थान (राज्य एवं अधीनस्थ) विधि सेवा के वेतनमान से या तो कम थे अथवा समान थे, पाँचवे वेतन आयोग में विधि सेवा को उनके मुकाबले कम वेतनमान प्रदान किये गये हैं। इसी प्रकार छठवे वेतन आयोग में भी राजस्थान (राज्य एवं अधीनस्थ) विधि सेवा के अधिकारियों को अन्य सेवाओं के मुकाबले कम वेतनमान स्वीकृत किये गये हैं। इसी कारण विधि स्नातक की विशेष योग्यताधारी होने के बावजूद भी विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा के अधिकारी, वर्तमान में 12वीं शैक्षणिक योग्यता वाली कुछ सेवाओं से भी कम वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं।

विधि सेवा में प्रवेश के लिए विधि स्नातक (व्यावसायिक) शैक्षणिक योग्यता होना आवश्यक है। विधि स्नातक एक Professional Degree है, जो डॉक्टर, इंजीनियर, औषधि नियंत्रक अधिकारी इत्यादि के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के समकक्ष है। इस सेवा में प्रवेश के लिए एकमात्र कनिष्ठ विधि अधिकारी (अधीनस्थ सेवा का पद) के पद पर लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार उपरान्त राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती की जाती है। विधि सेवा में राज्य

सेवा के किसी भी पद सीधी भर्ती नहीं की जाती है, बल्कि राज्य सेवा के प्रथम पद वरिष्ठ विधि अधिकारी पर नियुक्ति कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद से पदोन्नति के जरिये ही होती है।

राज्य की अन्य समकक्ष सेवाओं से राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा के अधिकारियों के वेतनमान की तुलना

कनिष्ठ विधि अधिकारी के संबंध में :-

वर्ष 1983 के वेतन निर्धारण में जिन सेवा पदों के समान विधि सहायक (वर्तमान पदनाम कनिष्ठ विधि अधिकारी) के पद का वेतनमान निर्धारित किया गया था, छठवें वेतन आयोग के तहत वेतन निर्धारण में विधि सहायक (अब पदनाम कनिष्ठ विधि अधिकारी) का वेतनमान उनसे कम कर दिया गया है, जो कि निम्नवत् हैं :-

पदनाम	सेवा का नाम	वर्ष 1983 के वेतन निर्धारण के अनुसार पे-स्केल	वर्ष 2008 के षष्ठम वेतन निर्धारण के अनुसार पे-स्केल एवं ग्रेड पे	संलग्न परिशिष्ट
अनुसंधान छात्र (अब ओ स्कॉलर)	(राजस्थान पुरालेख अधीनस्थ सेवा)	660-1240 (स्केल नं० 13)	9300-34800 (स्केल नं० 12) ग्रेड पे-3600 (अब 4200)	1-2
सहायक पुरालेखपाल	(राजस्थान पुरालेख अधीनस्थ सेवा)	660-1240 (स्केल नं० 13)	9300-34800 (स्केल नं० 12) ग्रेड पे-3600 (अब 4200)	1-2
विधि रचनाकार	राजस्थान विधि रचना (अधीनस्थ) सेवा	660-1240 (स्केल नं० 13)	9300-34800 (स्केल नं० 12) ग्रेड पे-3600 (अब 4200)	3-4
विधि सहायक (अब कनिष्ठ विधि अधिकारी)	राज० विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा	660-1240 (स्केल नं० 13)	9300-34800 (स्केल नं० 11) ग्रेड पे-3200 (अब 3600)	5-6

वर्ष 1983 के वेतन निर्धारण में जिन सेवाओं के पदों को विधि सहायक (अब पदनाम कनिष्ठ विधि अधिकारी) के समकक्ष नहीं मानते हुए कम वेतनमान निर्धारित किया गया था, छठवें वेतन आयोग के तहत वेतन निर्धारण में उन पदों को भी विधि सहायक (अब पदनाम कनिष्ठ विधि अधिकारी) से अधिक वेतनमान प्रदान कर दिया गया है, जो कि निम्नवत् हैं :-

पदनाम	सेवा का नाम	वर्ष 1983 के वेतन निर्धारण में पे-स्केल	वर्ष 2008 के षष्ठम वेतन निर्धारण के अनुसार पे-स्केल एवं ग्रेड-पे	संलग्न परिशिष्ट
अनुभाग अधिकारी	राजस्थान सचिवालय सेवा	620-1100	9300-34800 (ग्रे.पे नं० 12) ग्रेड पे-4200 (अब 4800)	13-14
सहायक कृषि अधिकारी / कृषि सहायक / कृषि प्रसार अधिकारी / फार्म	राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा	640-1180 (स्केल नं० 12)	9300-34800 (ग्रे.पे नं० 12) ग्रेड पे-3600 (अब 4200)	7-8

प्रबन्धक (जो कृषि स्नातक नहीं हैं)				
निरीक्षक ग्रेड-1	राजस्थान देवरथान अधीनस्थ सेवा	640-1180 (स्केल नं० 12)	9300-34800 (ग्रे.पे नं० 12) ग्रेड पे-3600 (अब 4200)	9 - 10
निरीक्षक ग्रेड-1	राजस्थान आवकारी अधीनस्थ सेवा (सा० शाखा)	640-1180 (स्केल नं० 12)	9300-34800 (ग्रे.पे नं० 12) ग्रेड पे-3600 (अब 4200)	10A - 10B
विधि सहायक (अब कनिष्ठ विधि अधिकारी)	राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा	660-1240 (स्केल नं० 13)	9300-34800 (ग्रे.पे नं० 11) ग्रेड पे-3200 (अब 3600)	5 - 6

राज्य में न्यायिक सेवा के अतिरिक्त, विधि स्नातक व्यवसायिक डिग्री योग्यता रखने वाली सेवाओं में कनिष्ठ विधि अधिकारी, विधि रचनाकार, सहायक अभियोजन अधिकारी एवं महिला अधिकारिता विभाग में संरक्षण अधिकारी के पद सीधी भर्ती से भरे जाते हैं। राज्य में कनिष्ठ विधि अधिकारी के अलावा उपरोक्त सभी पदों का वेतनमान 9300-34800, ग्रेड पे-4200 है, जबकि कनिष्ठ विधि अधिकारी का वेतनमान 9300-34800 ग्रेड पे-3600 है।

उक्त सेवाओं से यदि विधि सेवा की तुलना करें तो, विधि रचना सेवा का मुख्य कार्य नये नियम/अधिनियम बनाने अथवा उनमें संशोधन करने हेतु अंग्रेजी में प्राप्त प्रारूपों का हिन्दी रूपान्तरण करना है, जबकि सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग में उक्त प्रारूप विधि सेवा के अधिकारियों द्वारा ही बनाये जाते हैं। इसी प्रकार अभियोजन सेवा के अधिकारी अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष केवल अपराधिक मामलों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर उस केस में अपील करने/न करने हेतु अपनी राय व्यक्त करते हैं, जबकि विधि सेवा के अधिकारीगण द्वारा उक्त समस्त आपराधिक प्रकरणों के परीक्षण कर उनमें अपील करने/न करने की कार्यवाही संपादित करायी जाती है। विधि सेवा का कार्य केवल आपराधिक प्रकरणों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राज्य सरकार से संबंधित प्रत्येक दीवानी, राजस्व एवं सेवा संबंधी समस्त मामलों का परीक्षण कर, उनमें विधिक राय व्यक्त कर, उनमें हुए न्यायिक निर्णयों की आगे अपील करने/न करने का निर्णय कराने का कार्य भी विधि सेवा के अधिकारियों द्वारा ही संपादित किया जाता है।

विधि रचना एवं अभियोजन सेवा, दोनों ही सेवाएँ एक विशेष विभाग से ही संबंधित होने के कारण समान प्रकृति का कार्य संपादित करती हैं, जबकि विधि सेवा राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग, आयोग, बोर्ड, परिषद, स्थानीय निकाय इत्यादि में भिन्न-भिन्न प्रकार के विभागीय मामलों के साथ-साथ दीवानी, आपराधिक, राजस्व एवं सेवा संबंधी वादकरण का समस्त कार्य निष्पादित करती है।

अतः निश्चित रूप से विधि सेवा का कार्य उक्त दोनों ही सेवाओं से किसी भी दृष्टि से कम महत्वपूर्ण अथवा कम चुनौतीपूर्ण नहीं है, किन्तु इसके बावजूद भी विधि सेवा के वेतनमान इन दोनों सेवाओं से कम हैं, जो कि किसी प्रकार से न्यायोचित नहीं है।


18/10/2021

विधि सेवा में प्रवेश के एकमात्र पद 'कनिष्ठ विधि अधिकारी' को वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा रूपये 9300-34800, ग्रेड पे-3600 प्रदान किया जा रहा है, जो कि संपूर्ण भारत वर्ष में विधि स्नातक योग्यता की समस्त सेवाओं में सबसे कम है। वर्तमान में में विधि स्नातक योग्यता का अन्य कोई पद पूरे भारतवर्ष में नहीं है। जबकि राजस्थान विधि सेवा में कनिष्ठ विधि अधिकारी की ग्रेड पे 3600 मात्र ही है, जो किसी भी रूप में न्यायोचित नहीं है। राज्य में कार्यरत कनिष्ठ विधि अधिकारियों को कम वेतनमान के आधार पर कई बार मंत्रालयिक कर्मचारियों के कार्य करने को भी मजबूर किया जाता है, इसे गंभीरता से लेते हुए विधि विभाग द्वारा उक्त संबंध में दिनांक 30.08.2019 को एक परिपत्र भी जारी किया गया है। (परिशिष्ट 'अ 1-4')

मान्यवर इतना कम वेतनमान, कनिष्ठ विधि अधिकारी पद के लिए एक अभिशाप बना हुआ है, जिसके कारण उक्त अधिकारीगण त्रस्त हैं एवं सेवा छोड़कर अन्य सेवा में पलायन करने हेतु मजबूर हैं। अतः उक्त वेतनमान में वृद्धि किया जाना नितान्त आवश्यक है। हालांकि केन्द्र में कनिष्ठ विधि अधिकारी के समकक्ष पद 'सहायक विधि' का वेतनमान 9300-34800, ग्रेड पे-4600 है, किन्तु परिषद द्वारा वरिष्ठ विधि अधिकारी पद हेतु अधीक्षक विधि के ग्रेड पे-4800 के स्थान पर 5400 ग्रेड पे की मांग किये जाने एवं प्रशासनिक विभाग तदनु रूप वेतनमान प्रदान किये जाने हेतु व्यक्त सहमति को ध्यान में रखते हुए कनिष्ठ विधि अधिकारी को ग्रेड पे-4200 की मांग की जा रही है, किन्तु यदि समिति द्वारा विधि रचनाकार अथवा सहायक अभियोजन अधिकारी का वर्तमान वेतनमान ग्रेड पे-4200 से बढ़ाया है, तो कनिष्ठ विधि अधिकारी का वेतनमान भी तदनु रूप ही बढ़ाया जावे, जिससे कि भविष्य में वेतनमान में विसंगति न रहे।

वरिष्ठ विधि अधिकारी के संबंध में :-

विधि सेवा में वरिष्ठ विधि अधिकारी का पद राजस्थान में राज्य सेवा का प्रथम पद है, जो कि कनिष्ठ विधि अधिकारी की पदोन्नति मात्र से ही भरा जाता है। विधि सेवा में राज्य सेवा के किसी भी पद पर सीधी भर्ती नहीं होती है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर, जो कि अधीनस्थ सेवा का पद है, लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार उपरान्त भर्ती की जाती है। विधि स्नातक (व्यावसायिक) शैक्षणिक योग्यता होने के कारण विधि सेवा में भर्ती की औसत आयु लगभग 30 वर्ष है। सेवा में पदोन्नति के प्रथम दो पद वरिष्ठ विधि अधिकारी एवं सहायक विधि परामर्शी पर पदोन्नति हेतु पाँच-पाँच वर्ष का न्यूनतम कार्यानुभव निर्धारित है। चूंकि राज्य की अन्य सेवाओं से भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति पाने हेतु अनुभव की गणना ग्रेड पे-5400 से की जाती है। अतः वरिष्ठ विधि अधिकारी का पद 5400 पे ग्रेड से कम अर्थात् 4800 होने के कारण विधि सेवा के अधिकांश अधिकारी The Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Rules, 1997 के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति पाने के अवसर से वंचित रहते हैं। अतः राजस्थान विधि सेवा के राज्य सेवा के प्रथम पद, वरिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर विधि स्नातक (व्यावसायिक) शैक्षणिक योग्यता एवं पद पर पहुँचने हेतु अनुभव हासिल करने में लगने वाले समय को देखते हुए, वरिष्ठ विधि अधिकारी को वर्तमान में दिये जा रहे वेतनमान 9300-34000 (ग्रेड पे-4800) L-12 के स्थान पर वेतनमान 15600-39000 (ग्रेड पे-5400) L-14 प्रदान किया जाना नितान्त आवश्यक है।

राज्य में महिला अधिकारिता विभाग के अधीन विधि स्नातक शैक्षणिक योग्यता की सीधी भर्ती के कनिष्ठ विधि अधिकारी के ही समकक्ष 'संरक्षण अधिकारी' के पद से प्रथम पदोन्नति

'सहायक निदेशक' के पद पर होती है, जिसका वेतनमान 15600-39100 (ग्रेड पे-5400) L-14 है। चूंकि उक्त पद वरिष्ठ विधि अधिकारी पद के ही समकक्ष है, अतः वरिष्ठ विधि अधिकारी को उक्त वेतनमान प्रदान किया जाना न्यायोचित है। (परिशिष्ट 'अ 5-7')

सहायक विधि परामर्शी (ALR) के संबंध में :-

वर्ष 1983 के वेतन निर्धारण में जिन सेवा पदों के समान सहायक विधि परामर्शी के पद का वेतनमान निर्धारित किया गया था, छठवे वेतन आयोग के तहत वेतन निर्धारण में सहायक विधि परामर्शी का वेतनमान उनसे कम कर दिया गया है, जो कि निम्नवत् है :-

पदनाम	सेवा का नाम	वर्ष 1983 के वेतन निर्धारण के अनुसार पे-स्केल	वर्ष 2008 के षष्ठम वेतन निर्धारण के अनुसार पे-स्केल एवं ग्रेड पे-	संलग्न परिशिष्ट
आचार्य/फिजिसियन/स्पेशलिस्ट	राजस्थान आयुर्वेद सेवा (महाविद्यालय शाखा)	1210-2040 (स्केल नं० 20)	15600-39100 (स्केल नं० 17) ग्रेड पे-6600	11-12
उप निदेशक	राजस्थान आयुर्वेद सेवा	1210-2040 (स्केल नं० 20)	15600-39100 (स्केल नं० 17) ग्रेड पे-6600	11-12
सहायक शासन सचिव	राजस्थान शासन सचिवालय सेवा	1210-2040 (स्केल नं० 20)	15600-39100 (स्केल नं० 17) ग्रेड-पे 6600	13-14
निजी सचिव	राजस्थान शासन सचिवालय सेवा	1210-2040 (स्केल नं० 20)	15600-39100 (स्केल नं० 17) ग्रेड पे-6600	13-14
विधि अधिकारी रचना	राजस्थान विधि रचना सेवा	1210-2040 (स्केल नं० 20)	15600-39100 (स्केल नं० 17) ग्रेड पे-6600	3-4
सहायक परामर्शी विधि	राजस्थान विधि सेवा	1210-2040 (स्केल नं० 20)	15600-39100 (स्केल नं० 16) ग्रेड पे-6000	5-6

चूंकि सहायक विधि परामर्शी के समकक्ष पदों का वर्तमान वेतनमान 15600-39100, स्केल नं० 17, ग्रेड पे-6600 है, जबकि सहायक विधि परामर्शी का वेतनमान 15600-39100 स्केल नं० 16, ग्रेड पे-6000 है, अतः उक्त पद हेतु वेतनमान 15600-39100 स्केल नं० 17, ग्रेड पे-6600 स्वीकृत किया जाना न्यायोचित एवं नितान्त आवश्यक है।

उप विधि परामर्शी (DLR) के संबंध में :-

वर्ष 1983 के वेतन निर्धारण में जिन सेवा पदों के समान उप विधि परामर्शी के पद का वेतनमान निर्धारित किया गया था, छठवे वेतन आयोग के तहत वेतन निर्धारण में उप विधि परामर्शी

का वेतनमान उनसे कम कर दिया गया है, जो कि निम्नवत् है :-

पदनाम	सेवा का नाम	वर्ष 1983 के वेतन निर्धारण	वर्ष 2008 के षष्ठम वेतन निर्धारण के अनुसार	संलग्न परिशिष्ट
-------	-------------	----------------------------	--	-----------------

विशेष
18/10/2021

निदेशक	राजस्थान आयुर्वेद सेवा	में पे-स्केल 1750-2500 (स्केल नं० 24)	पे-स्केल एवं ग्रेड पे 15600-39100 (स्केल नं० 20) ग्रेड पे-7600	11-12
निदेशक	राजस्थान संस्कृत शिक्षा सेवा	1750-2500 (स्केल नं० 24)	15600-39100 (स्केल नं० 20) ग्रेड पे-7600	15-16
उप शासन सचिव	राजस्थान सचिवालय सेवा	1750-2500 (स्केल नं० 24)	15600-39100 (स्केल नं० 20) ग्रेड पे-7600	13-14
उप शासन सचिव, विधि रचना संगठन	राजस्थान विधि रचना सेवा	1750-2500 (स्केल नं० 24)	15600-39100 (स्केल नं० 20) ग्रेड पे-7600	3-4
उप विधि परामर्शी	राजस्थान विधि सेवा	1750-2500 (स्केल नं० 24)	15600-39100 (स्केल नं० 19) ग्रेड पे-7200	5-6


चूंकि उप विधि परामर्शी के समकक्ष पदों का वर्तमान वेतनमान 15600-39100, स्केल नं० 20, ग्रेड पे-7600 है, जबकि उप विधि परामर्शी का वेतनमान 15600-39100, स्केल नं० 19, ग्रेड पे-7200 है, अतः उक्त पद हेतु वेतनमान 15600-39100, स्केल नं० 20, ग्रेड पे-7600 स्वीकृत किया जाना न्यायोचित एवं नितान्त आवश्यक है।

संयुक्त विधि परामर्शी (J.L.R.) के संबंध में :-

राज्य विधि सेवा का वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी एकमात्र पद है, जिसे (PB-4 में वेतनमान GP-8700 (GP No.22) दिया गया है। विधि रनातक प्रोफेशनल डिग्री शैक्षणिक योग्यता होने के बावजूद भी विधि सेवा का सर्वोच्च पद ही चतुर्थ पे-बैंड में है, जबकि राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा, राजस्थान लेखा सेवा, राजस्थान बीमा सेवा, राजस्थान की समस्त इंजिनियरिंग सेवा, राजस्थान चिकित्सा सेवा इत्यादि अधिकांश सेवाओं में उच्चतम दो पद चतुर्थ पे बैंड में हैं। अतः मात्र सर्वोच्च पद ही चतुर्थ पे-बैंड में होने के कारण एवं इन पदों की संख्या सेवा की कुल कैडर स्ट्रेंथ लगभग 665 में मात्र 12 होने के कारण विधि सेवा के अधिकांश अधिकारी, विशेषज्ञ सेवा होने के बावजूद भी, तृतीय पे-बैंड में ही सेवा निवृत्त हो जाते हैं, जो कि अत्यन्त पीडादायक स्थिति है।

वर्ष 1989 में पुनरीक्षित वेतनमान में विधि रचना सेवा के उप सचिव एवं विधि सेवा के उप विधि परामर्शी का एक समान वेतनमान रुपये 3450-5000 (स्केल-22) था। विधि सेवा में उप विधि परामर्शी के बाद अगला पद संयुक्त विधि परामर्शी है, जबकि विधि रचना सेवा में उप सचिव के बाद संयुक्त शासन सचिव (पूर्व पदनाम वरिष्ठ उप सचिव) का है। वर्तमान में संयुक्त विधि परामर्शी को तृतीय पे-बैंड में रुपये 8200, ग्रेड-पे प्रदत्त की जा रही है, जबकि विधि रचना सेवा में संयुक्त सचिव को चतुर्थ पे-बैंड में 8700 ग्रेड-पे दी जा रही है, जो कि निम्नवत् है:-

पदनाम	सेवा का नाम	वर्तमान वेतनमान
संयुक्त सचिव (पूर्व नाम वरिष्ठ उप सचिव)	विधि रचना सेवा	37400-67000 PB-4 GP-8700
संयुक्त विधि परामर्शी	विधि सेवा	15600-39100 PB-3 GP-8200


18/10/2021

चूँकि विधि रचना सेवा में संयुक्त विधि परामर्शी के समकक्ष पद का वेतनमान 37400-67000, PB-4, GP-8700 है, अतः संयुक्त विधि परामर्शी को उक्त वेतनमान प्रदान किया जाना न्यायोचित है।

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी के संबंध में :-

अधिकांश राज्य सेवाओं में उच्चतम दो पद चतुर्थ पे बैंड में रखे गये हैं, अतः इन सेवाओं के अधिकांशतः अधिकारीगण चतुर्थ पे-बैंड के सम्मानजनक वेतनमान में सेवानिवृत्त होते हैं, जबकि विधि सेवा के 95 प्रतिशत से भी अधिक अधिकारी तृतीय पे-बैंड में ही सेवानिवृत्त हो जाते हैं। विधि सेवा हेतु शैक्षणिक योग्यता एवं उसे आवंटित कार्यों को देखते हुए इस सेवा के सर्वोच्च पद को चतुर्थ पे-बैंड में वेतनमान 37400-67000, PB-4 (GP-9500) L-23 प्रदान किया जाना न्यायसंगत है। वर्तमान में राज्य की अधिकांश सेवाओं में उच्चतम पद का वेतनमान 37400-67000, PB-4 में ग्रेड पे-9500 अथवा 10,000 निर्धारित है। चूँकि केन्द्रीय सेवा में वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी के समकक्ष संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार को ग्रेड पे- 10,000 प्रदान किया गया है, अतः राज्य में विधि सेवा के सर्वोच्च पद संयुक्त विधि परामर्शी को वेतनमान 37,600-67,000 (ग्रेड पे-9500) L-23 प्रदान किया जाना पूर्णतः न्याय संगत है।

राज्य में विधि सेवा एवं केन्द्र में विधि सेवा के पदों का तुलनात्मक विवरण

राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा एवं केन्द्रीय विधि सेवा के समतुल्य पदों का छठवे एवं सातवे वेतन आयोग में प्रदत्त वेतनमान का विवरण निम्नवत् है :-

केन्द्र में विधि सेवा		राजस्थान में विधि सेवा		वांछित एवं न्याय संगत वेतनमान	औचित्य एवं कारण
पद	स्वीकृत वेतनमान	विद्यमान पद	स्वीकृत वेतनमान		
सहायक, विधि	6th वेतन आयोग में 9300-34800 (ग्रेड-पे 4600) 7th में L-7	कनिष्ठ अधिकारी (पूर्व पद विधि सहायक)	6th वेतन आयोग में 9300-34800 (ग्रेड-पे 3600) 7th में L-10	6th वेतन आयोग में 9300-34800 (ग्रेड-पे 4200) 7th में L-11	1. शैक्षणिक योग्यता, कर्तव्य एवं भर्ती प्रक्रिया के लिये टेबिल संलग्न नं०-17 है। 2. राज्य में उपलब्ध ग्रेड पे के अनुसार समानता बनाये रखने के लिये कनिष्ठ विधि अधिकारी (पूर्व पद विधि सहायक के लिये केन्द्रीय विधि सेवा के समकक्ष पद हेतु निर्धारित ग्रेड पे-4600 के स्थान पर 4200 की मांग की गई है और वरिष्ठ विधि अधिकारी (पूर्व पद मुख्य विधि सहायक) हेतु केन्द्रीय विधि सेवा के समकक्ष पद
अधीक्षक, विधि	6th वेतन आयोग में 9300-34800 (ग्रेड-पे 4800) 7th में L-8	वरिष्ठ अधिकारी (पूर्व पद मुख्य विधि सहायक)	6th वेतन आयोग में 9300-34800 (ग्रेड-पे 4800) 7th में L-12	6th वेतन आयोग में 15600-39100 (ग्रेड-पे 5400) 7th में L-14	
सहायक विधि सलाहकार	6th वेतन आयोग में 15600-39100 (ग्रेड-पे 6600) 7th में L-11	सहायक विधि परामर्शी (ALR)	6th वेतन आयोग में 15600-39100 (ग्रेड-पे 6000) 7th में L-15	6th वेतन आयोग में 15600-39100 (ग्रेड-पे 6600) 7th में L-16	
उप विधि सलाहकार	6th वेतन आयोग में 15600-39100 (ग्रेड-पे 7600)	उप विधि परामर्शी (DLR)	6th वेतन आयोग में 15600-39100	6th वेतन आयोग में 15600-39100	

	7th में L-12		(ग्रेड-पे 7200) 7th में L-18	(ग्रेड पे 7600) 7th में L-19	हेतु निर्धारित ग्रेड पे-4800 के स्थान पर 5400 की मांग की गई है। यहां यह स्पष्ट किया जाना उचित है कि कनिष्ठ विधि अधिकारियों की संख्या अधिक और वरिष्ठ विधि अधिकारियों की संख्या कम होने के कारण उक्त अनुरूप वेतनमान स्वीकृत किये जाने में राज्य सरकार पर वित्तीय भार कम आयेगा। संलग्न-20-23)
अतिरिक्त विधि सलाहकार	6th वेतन आयोग में 37400-67000 (ग्रेड-पे 8700) 7th में L-13	संयुक्त विधि परामर्शी (Jt.LR)	6th वेतन आयोग में 15600-39100 (ग्रेड-पे 8200) 7th में L-20	6th वेतन आयोग में 37400-67000 (ग्रेड-पे 8700) 7th में L-21	
संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार	6th वेतन आयोग में 37400-67000 (ग्रेड-पे 10,000) 7th में L-14	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी (Sr.Jt.LR)	6th वेतन आयोग में 37400-67000 (ग्रेड-पे 8700) 7th में L-21	6th वेतन आयोग में 37400-67000 (ग्रेड-पे 9500) 7th में L-23	

राज्य की विभिन्न सेवाओं एवं केन्द्र की विधि सेवा से राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा की उक्त तुलनात्मक स्थिति से यह स्पष्ट है कि राजस्थान विधि सेवा के अधिकारियों को न तो राजस्थान की समकक्ष सेवाओं के समान और न ही केन्द्र की समकक्ष सेवाओं के समान वेतनमान प्रदान किया गया है। राज्य सरकार के विधि विभाग के अधीन कार्यरत विधि संबंधी दोनों सेवाओं, राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा एवं राजस्थान विधि रचना (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा, जिनके वेतनमान सेवाओं के गठन से ही समान थे, में भी असमानता हो गयी है एवं विधि सेवा के अधिकारीगण को कम वेतनमान प्राप्त हो रहा है। राज्य में और भी कई ऐसी सेवाएँ हैं, जिनकी तुलना में विधि सेवा का वेतनमान अब कम हो गया है।

विधि सेवा के सदस्यों की योग्यता, उनकी चयन प्रक्रिया एवं संपादित किये जाने वाले कार्य अति-महत्वपूर्ण प्रकृति के हैं। राज्य की अन्य समकक्ष सेवाओं एवं केन्द्रीय विधि सेवा को प्रदत्त वेतनमान की तुलना में विधि सेवा के अधिकारियों को कम वेतनमान दिया जाना, किसी भी प्रकार से औचित्यपूर्ण एवं न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता। अतः राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा के अधिकारियों को वर्तमान में मिल रहे वेतनमान को निम्नानुसार संशोधित किया जाना पूर्ण रूपेण औचित्यपूर्ण है :-

पद	वर्तमान वेतनमान	वांछित वेतनमान
कनिष्ठ विधि अधिकारी (JLO)	9300-34800 (ग्रेड पे 3600) L-10	9300-34800 (4200/- ग्रेड पे) L-11
वरिष्ठ विधि अधिकारी (SLO)	9300-34800 (ग्रेड पे 4800) L-12	15600-39100 (5400/- ग्रेड पे) L-14
सहायक विधि परामर्शी (ALR)	15600-39100 (ग्रेड पे 6000) L-15	15600-39100 (6600/- ग्रेड पे) L-16
उप विधि परामर्शी (DLR)	15600-39100 (ग्रेड पे 7200) L-18	15600-39100 (7600/- ग्रेड पे) L-19
संयुक्त विधि परामर्शी (Jt. LR)	15600-39100 (ग्रेड पे 8200) L-20	37400-67000 (8700/- ग्रेड पे) L-21
व० संयुक्त विधि परामर्शी (Sr. Jt.LR)	37400-67000 (ग्रेड पे 8700) L-21	37400-67000 (9500/- ग्रेड पे) L-23

प्रशासनिक विभाग की सहमति :-

राजस्थान विधि सेवा परिषद द्वारा राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा के अधिकारियों के लिए चाहे जा रहे उक्त वेतनमान को, तत्कालीन विधि मंत्री महोदय ने उचित मानते हुए, विधि विभाग की अनुशंसा के साथ, सातवे वेतन आयोग की कमेटी के समक्ष रखे जाने हेतु दिनांक 30.09.2017 को वित्त विभाग को भेजा था, जिसे वित्त विभाग के निर्देशानुसार विधि विभाग द्वारा दिनांक 13.12.2017 को वेतन विसंगति निवारण हेतु श्री डी.सी. सावंत कमेटी को प्रेषित किया गया। (परिशिष्ट-18)

मुख्य सचिव महोदय द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.05.2018 की अनुपालना में विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा गठित समिति द्वारा दिनांक 25.05.2018 को परिषद के प्रतिनिधियों की सुनवाई की गयी। सुनवाई उपरान्त समिति द्वारा राजस्थान विधि सेवा परिषद के अभ्यावेदन दिनांक 23.11.2017 में वांछित उक्त वेतनमान को, केन्द्रीय विधि सेवा अथवा राजस्थान की अन्य समकक्ष सेवाओं के आधार पर उचित मानते हुए, अपनी सहमति के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु दिनांक 30.05.2018 को डी0सी0 सावंत कमेटी को प्रेषित किया गया। (परिशिष्ट-'अ-8')

अतः राजस्थान विधि सेवा परिषद द्वारा राजस्थान (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा को प्रदान किए जा रहे उक्त वेतनमान पर राज्य सरकार के प्रशासनिक विभाग (विधि एवं विधिक कार्य विभाग) द्वारा सक्षम स्तर से सहमति व्यक्त करते हुए, वेतन विसंगति निवारण हेतु इस प्रकरण को, पूर्व में ही श्री डी.सी. सावंत, वेतन विसंगति निवारण समिति को दो बार भेजा जा चुका है।


वर्तमान में राज्य में, राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा में कुल 233 कनिष्ठ विधि अधिकारी, 33 वरिष्ठ विधि अधिकारी, 23 सहायक विधि परामर्शी, 80 उप विधि परामर्शी, 23 संयुक्त विधि परामर्शी एवं 12 वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी पदस्थापित हैं, जिन्हें उक्त वांछित वेतनमान प्रदत्त किये जाने से राज्य सरकार पर बहुत अधिक वित्तीय भार नहीं आना है।

अतः विनम्र निवेदन है कि राजस्थान (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा के विधि अधिकारियों की निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, राजस्थान लोक सेवा आयोग के जरिये जटिल चयन प्रक्रिया, उनके द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्यों की महत्वपूर्ण प्रकृति, राज्य में अन्य समकक्ष सेवाओं एवं केन्द्र में विधि सेवा के समकक्ष पदों हेतु प्रदान किये गये वेतनमान तथा प्रशासनिक विभाग (विधि विभाग) द्वारा उक्त वेतनमान प्रदान किये जाने हेतु व्यक्त की गई पूर्व में सहमति को, ध्यान में रखते हुए, राजस्थान (राज्य एवं अधीनस्थ) विधि सेवा के अधिकारियों के लिए सातवे वेतन आयोग में निर्धारित किये गये वेतनमान की उक्त विसंगति को दूर कर, उक्त वांछित वेतनमान स्वीकृत कराने की कृपा करें।

राजस्थान विधि सेवा परिषद उक्त हेतु उपरोक्त आपकी सदैव आभारी रहेगी।

सादर।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


18/10/2021

(जितेन्द्र सिंह)

अध्यक्ष

राजस्थान विधि सेवा परिषद

मो0नं0:- 7014347174

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(2)न्याय/2019


जयपुर, दिनांक 30.8.19

:: परिपत्र ::

प्रायः यह देखा गया है कि राजस्थान विधि सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों से विधिक कार्यों के अतिरिक्त विभाग के अन्य विभागीय कार्य भी सम्पादित कराये जा रहे हैं, जबकि विधि सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व इस विभाग के परिपत्र क्रमांक प.49(3)न्याय/82 दिनांक 27.04.1983, क्रमांक प.12(4)राज/वाद/93 दिनांक 22.11.1994 एवं क्रमांक प.12 (4)राज/वाद/93 दिनांक 29.10.1996 द्वारा निर्धारित किये गये हैं, जो कि वर्तमान में भी प्रभावी हैं। अतः सभी विभागों से अपेक्षा की जाती है कि राजस्थान विधि सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों से उक्त परिपत्रों में वर्णित कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व के अनुसार ही अनुपालना सुनिश्चित करावें।


राजस्थान विधि सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों के पालन के समुचित स्टॉफ एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं, जिससे इनको अपने कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व के सम्पादन में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। अतः सभी विभागों से अपेक्षा की जाती है कि राजस्थान विधि सेवा के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमानुसार समुचित स्टॉफ एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराए।

- संलग्न:-1. परिपत्र क्रमांक प.49(3)न्याय/82 दिनांक 27.04.1983
2. परिपत्र क्रमांक प.12(4)राज/वाद/93 दिनांक 22.11.1994
3. परिपत्र क्रमांक प.12 (4)राज/वाद/93 दिनांक 29.10.1996


(महावीर प्रसाद शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
2. समस्त जिला कलेक्टर/जिला परिषद/नगर परिषद।
3. समस्त निदेशक/आयुक्त
4. समस्त विभाग
5. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।


30.8.19
(मधुसूदन शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

विधि सेवा अधिकारियों के कार्य, दायित्व व अधिकार सम्बन्धी महत्वपूर्ण परिपत्र

राजस्थान सरकार

न्याय विभाग

क्रमांक एफ 49 (3) न्याय/82

जयपुर, दिनांक 27.04.83

—:: परिपत्र ::—

राज्य सरकार के विधिक कार्यों के सम्पादन निमित्त, विधि सुधार एवं विधि सेवा समिति, राजस्थान की सिफारिश के आधार पर राजस्थान विधि सेवा का गठन किया गया था। इस सेवा के अन्तर्गत निम्न पदों को सम्मिलित किया गया है—

- (i) विधि सहायक
- (ii) मुख्य विधि सहायक
- (iii) सहायक विधि परामर्शी / सहायक विधि प्रारूपकार
- (iv) उप विधि परामर्शी ।

राजस्थान विधि सेवा में सदस्यों से निम्न वर्णित कार्यों का सम्पादन ही अपेक्षित है:—

1. विधायी प्रारूपण सम्बन्धी कार्य ।
(अधिनियमों, नियमों, विनियमों एवं उप नियमों आदि का प्रारूपण एवं उनमें संशोधन आदि के प्रारूप बनाना)
2. वैधिक मामलों का परीक्षण एवं परामर्श सम्बन्धी कार्य ।
3. वादकरण सम्बन्धी कार्य ।
(i) नॉटिस, याचिका दावे एवं जवाब दावे इत्यादि का परीक्षण एवं परामर्श ।
(ii) अपीलिय मामले एवं निर्णय आदि का परीक्षण एवं परामर्श एवं अन्य विभागीय विशिष्ट वैधिक कार्य ।

प्रायः यह देखने में आया है कि विभिन्न विभाग/विभागाध्यक्ष उनके यहां पदस्थापित विधि सेवा के सदस्यों के कार्यक्षेत्र के बारे में इस विभाग में स्पष्टीकरण हेतु पत्र व्यवहार करते हैं। अतः यह आवश्यक समझा गया है कि राजस्थान विधि सेवा के सदस्यों के कार्यों के बारे में मोटे रूप से स्पष्टीकरण किया जावे

अतः संबंधित विभाग/विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि विधि सेवा के सदस्यों से उपरोक्त वर्णित वैधिक कार्य ही लिया जावे तथा इन्हें उपरोक्त कार्य सम्पादनार्थ समुचित लिपिकीय स्टाफ भी प्रदान किया जावे ताकि राज्य हित में उनकी सेवाओं का समुचित उपयोग हो सके। वर्तमान में आपके विभाग में विधि सेवा के सदस्यों से किस प्रकार का कार्य करवाया जा रहा है कृपया इस विभाग को सूचित करने का श्रम करे।

Sd/-

उप शासन सचिव

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
LAW & LEGAL AFFAIRS DEPARTMENT

No. F. 12 (4) State/ Lit./93

Jaipur, Dated 22.11.94

CIRCULAR

Status, Duties, Responsibilities and powers of the officers of Legal Service posted in the Departments.

Object of Posting : The Officers of Legal Service are posted to assist the Administrative Secretaries and Heads of Department in dealing with legal and Para legal issues arising in day-to-day administration of the Department's and further to look after litigation and safeguard the interests of the State Government in cases pending in the various Courts.

Status : Officers of Legal Service will act Advisers of the Department in all legal matters including service matters, Departmental enquiries, drafting of Statues, Litigation and in all other legal and Para legal issues arising in day-to-day administration of the Department.

2. Representative of the Law Department :

- (a) The Officers of legal Service will be directly subordinate to the Administrative Secretaries and Head of Department concerned. It will, however, be their duty to ensure that any irregularity or procedural defect which they have been able to detect should be brought to the notice of Administrative Secretaries/ Head of the Department and to suggest remedial measures to set them right and to check recurrence of such irregularities and defects.
- (b) The officers of legal Service should identify the areas in which they have to take the steps essential to safeguard the interests of the Department in cases pending in various courts and further to see that the directions, if any, issued by the courts against the Department are complied within time. In cases of appeal / review / writ / petition / revision by the State against the judgement in question, the officers of Legal Service should also ensure that 'Necessary stay orders are obtained in time from the higher court by the OIC. If they feel that any statute or rule requires any revision or amendment they should submit their opinion to Administrative Secretaries / Head of the Department.

No

3.
196
[ap]

718

3. Duties and responsibilities of the officers of Legal Service :
They will be responsible -

- (i) To furnish advice in every Legal and Para legal issues arising in day-to-day administration of the Department and try to solve the issue at the preliminary stage to avoid unnecessary litigation.
- (ii) To advise whether the department should contest/ not to contest the case and apprise the Administrative Secretaries/ Head's of the Department about the factual position of the case.
- (iii) To clarify the stand of the Department with regard to necessary pleadings in the matter.
- (iv) To examine and advise for filing / not filing further appeal / revision / review special appeal etc. and apprise the Administrative Secretaries / Head's of the Department about the factual and legal aspect of the matter.
- (v) To see that after filing of appeal, review or revision against the judgement in question necessary steps for obtaining stay, if any in the matter have been taken by OIC.
- (vi) To do any other work concerned with and related or incidental to the duties mentioned above.

Officers of Legal Service should be entrusted mainly with advisory and litigation work and they should not generally be appointed as officers-in-charge of the case.

Sd./-
Secretary to Government

राजस्थान-सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

जयपुर, दिनांक 29.10.1996

क्र. : एफ 12(4) राज/वाद/93

—: परिपत्र :—

राज्य में बढ़ते हुए राजकीय वादकरण को मद्देनजर रखते हुए वादकरण के अविलम्ब निस्तारण, सुचारु प्रवर्तन एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु सुझाव देने के लिए राज्य स्तर पर कुम्भट कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी की रिपोर्ट को राज्य स्तर पर स्वीकार करके इन सुझावों के क्रियान्वयन (Implimentation) के लिए विधि विभाग को प्रदत्त किया था। विधि विभाग ने उक्त कमेटी की रिपोर्ट की पालना में विभिन्न विभागों में विधि प्रकोष्ठों का गठन कर वहां विधि सेवा के अधिकारियों का पदस्थापन भी कर दिया है तथा विधि सेवा के अधिकारियों के कर्तव्य, अधिकारों एवं दायित्वों का निर्धारण परिपत्र दिनांक 22.11.94 द्वारा करवाया गया है। लेकिन यह देखने में आ रहा है कि प्रमुख शासन सचिवगण/शासन सचिवगण के पद स्थापित उप विधि परामर्शी संबंधित प्रमुख सचिव/सचिवगण के सीधे पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में नहीं आ रहे हैं। से विधिक प्रकरणों की तुरन्त प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पा रही है और उप विधि परामर्शियों को शासन सचिवों के अधीन रखकर उनके माध्यम से प्रकरणों को प्रस्तुत करवाया जा रहा है, जिससे न केवल वादकरण में अनावश्यक विलम्बर हो रहा है अपितु शासन सचिवों की वादकरण की अविलम्ब की जानकारी नहीं मिल पाती है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उप विधि परामर्शी का पद विधि सेवा का एक वरिष्ठ पद है और उप सचिव के पद के समकक्ष है इसलिए व्यावहारिक दृष्टि से भी उन्हें उप सचिवों के अधीन न रखना उचित नहीं है। साथ ही उप विधि परामर्शी प्रमुख सचिवों/सचिव/विभागाध्यक्ष के सीधे नियंत्रण में रह सकने पर उन्हें अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

इस परिपत्र के जरिए समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने यहाँ पद स्थापित उप विधि परामर्शी को सीधे अपने पर्यवेक्षण नियंत्रण में रखें जिससे प्रतिदिन के वादकरण से व्यक्तिगत रूप से अवगत रखें। साथ ही समस्त उपविधि परामर्शीगण को पुनः निर्देश दिया जाता है कि वे उपरोक्त परिपत्र में निर्धारित जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए विभाग में वादकरण प्राप्त विधिक प्रकरणों एवं समस्त वादकरण से प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विभागाध्यक्षों को अवगत कराते रहें, जिससे वादकरण के शीघ्र निस्तारण में सुविधा हो तथा तुरन्त प्रभावी कार्यवाही मयाविधि में संभव हो सके।

एम. एल. मेहता
मुख्य सचिव

जिला स्तर पर महिला अधिकारिता के अंतर्गत स्वीकृत पदों का विवरण

क्र.स.	पद का नाम	संवर्ग	लेवल	स्वीकृत
1	उप निदेशक	राजस्थान महिला अधिकारिता (राज्य एवं अधीनस्थ सेवा) सेवा	लेवल-16	10
2	सहायक निदेशक	राजस्थान महिला अधिकारिता (राज्य एवं अधीनस्थ सेवा) सेवा	लेवल-14	23
3	संरक्षण अधिकारी	राजस्थान महिला अधिकारिता (राज्य एवं अधीनस्थ सेवा) सेवा	लेवल-11	33
4	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	मंत्रालयिक सेवा	लेवल-10	7
5	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - II	राज. अधीनस्थ लेखा सेवा	लेवल-11	32
6	कनिष्ठ लेखाकार	राज. अधीनस्थ लेखा सेवा	लेवल-10	1
7	सुपरवाइजर, मअ प्रचेता, मअ	राजस्थान महिला अधिकारिता (राज्य एवं अधीनस्थ सेवा) सेवा	लेवल-10	277
				18
				कुल 295
8	वरिष्ठ सहायक	मंत्रालयिक सेवा	लेवल-8	26
9	कनिष्ठ सहायक	मंत्रालयिक सेवा	लेवल-5	33
10	सूचना सहायक	राज कम्प्यूटर अधीनस्थ सेवा	लेवल-9	33
11	वाहन चालक	राज अधीनस्थ सेवा	लेवल-5	1
12	च.श्रे. कर्मचारी	चतुर्थ श्रेणी सेवा	लेवल-1	33

अनुरूची-II (अधीनस्थ सेवा)

क्र.सं.	पद का नाम	भर्ती की रीति प्रतिशत सहित		सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव	पद जिसमें पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव	अभ्युक्तिता
		सीधी भर्ती	पदोन्नति				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	संरक्षण अधिकारी	50% सीधी भर्ती द्वारा	50%	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विधि स्नातक (एलएल.बी) / सामाजिक कार्य में अधिस्नातक (एम.एस.डब्ल्यू)	पर्यवेक्षक (महिला अधिकारिता)	स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 7 वर्ष का अनुभव	-
2	पर्यवेक्षक (महिला अधिकारिता)	100% सीधी भर्ती द्वारा	-	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक		-	-

अनुरूची-I (राज्य सेवा)

12/10/2024 24-7

क्र.सं.	पद का नाम	भर्ती की शीति प्रतिशत सहित		सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव	पद जिससे पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव	अभ्युक्तियां
		सीधी भर्ती	पदोन्नति				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अपर निदेशक	-	100%	-	संयुक्त निदेशक	स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	-
2.	संयुक्त निदेशक	-	100%	-	उप-निदेशक	स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	-
3.	उप-निदेशक	-	100%	-	सहायक निदेशक	स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	-
4. ✓	सहायक निदेशक	राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999 में अधिकथित उपबंधों के अनुसार 50% संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा।	50%	राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999 के नियम 12 में यथा अधिकथित अर्हता।	संरक्षण ✓ अधिकारी	स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	प्रोग्राम अधिकारी का पद सहायक निदेशक के रूप में पुनः पदानिहित किया गया है।

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(8)न्याय/17 पार्ट

जयपुर, दिनांक 30.5.18

सदस्य सचिव
श्री डी.सी. सामन्त कमेटी
वित्त भवन, जयपुर।

विषय:-विधि अधिकारियों के वेतनमान की विसंगतियों को दूर कर केन्द्रीय विधि सेवा के अधिकारियों अथवा राजस्थान की समकक्ष सेवाओं के लिए निर्धारित वेतनमान के समकक्ष वेतन निर्धारण करने के संबंध में विधि सेवा परिषद की सुनवाई कर विभागीय अनुशंसा भेजे जाने बाबत।

संदर्भ:-कार्मिक (क-5) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.14(17)कार्मिक/क-5/2017 पार्ट दिनांक 22.05.2018


महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत माननीय मुख्य सचिव महोदय के द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.05.2018 के क्रम में विशिष्ट शासन सचिव, विधि रचना संगठन, शासन सचिवालय, जयपुर की अध्यक्षता में दिनांक 25.05.2018 को अध्यक्ष, राजस्थान विधि सेवा परिषद के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई।

अध्यक्ष, राजस्थान विधि सेवा परिषद ने विधि अधिकारियों के वेतनमान की विसंगतियों को दूर कर केन्द्रीय विधि सेवा के अधिकारियों अथवा राजस्थान की समकक्ष सेवाओं के लिए निर्धारित वेतनमान के समकक्ष वेतन निर्धारण करने हेतु अभ्यावेदन की प्रति दिनांक 23.11.2017 के क्रम में दिनांक 25.05.2018 को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर विभागीय अनुशंसा के साथ श्री डी.सी. सामन्त समिति के समक्ष विचारार्थ भिजवाने हेतु पुनः निवेदन किया है।

अध्यक्ष, राजस्थान विधि सेवा परिषद द्वारा विधि अधिकारियों के वेतनमान की विसंगतियों को दूर कर केन्द्रीय विधि सेवा के अधिकारियों अथवा राजस्थान की समकक्ष सेवाओं के लिए निर्धारित वेतनमान के समकक्ष वेतन निर्धारण करने के संबंध में उठाये गये बिन्दुओं पर उक्त समिति के द्वारा सहमति व्यक्त की गई है। अतः विधि विभाग की अभिशंसा के साथ श्री डी.सी. सामन्त समिति के समक्ष विचारार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जा रहा है।

भवदीय


30.5.18

(मधुसूदन शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

30]

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित बतनमान) नियम, 1983

[प्रभुसूची 1

1	2	3	4	5	6
28.	पुरातत्व रसायनज्ञ	620-1100	820-1550	(17)	
29.	पुरालेखवेत्ता	750-1350	1000-1860	(19)	
30.	अधीक्षक, स्थापत्य सर्वेक्षण	930-1500	1210-2040	(20)	
31.	अधीक्षक, कला सर्वेक्षण	930-1500	1210-2040	(20)	
32.	मुख्य पुरातत्व रसायनज्ञ	930-1500	1210-2040	(20)	
पुरालेख विभाग					
(i) राजस्थान पुरालेख सेवा					
1.	सहायक निदेशक	750-1350	1000-1860	(19)	
2.	निदेशक	1400-1900	1750-2500	(24)	
(ii) राजस्थान पुरालेख अधीनस्थ सेवा					
ग्रुप 'क'					
कनिष्ठ पद					
1.	कनिष्ठ तकनीकी सहायक वरिष्ठ पद	385-650	520-925	(9)	
2.	वरिष्ठ तकनीकी सहायक	470-830	640-1180	(12)	
3.	अनुसंधान सहायक	470-830	640-1180	(12)	
4.	अनुसंधान सहायक	500-890	660-1210	(13)	
5.	सहायक पुरालेखपाल	500-890	660-1210	(13)	
6.	अनुसंधान अधिकारी	620-1100	820-1550	(17)	
7.	पुरालेखपाल	620-1100	820-1550	(17)	
ग्रुप 'ख'					
कनिष्ठ पद :					
1.	सहायक रसायनज्ञ वरिष्ठ पद	470-830	640-1180	(12)	
1.	रसायनज्ञ	550-1010	740-1420	(15)	
2.	वैज्ञानिक अधिकारी	620-1100	820-1550	(17)	
ग्रुप 'ग'					
कनिष्ठ पद					
1.	सहायक पुस्तकाध्यक्ष वरिष्ठ पद :	450-770	625-1120	(11)	
1.	पुस्तकाध्यक्ष	590-1055	780-1460	(16)	
(iii) अन्य पद					
1.	मेण्डर	240-290	350-430	(1)	
2.	वस्ताब्रदार	240-290	350-430	(1)	
3.	जिल्दसज	250-360	370-530	(3)	
4.	प्रयोगशाला सहायक	355-570	490-840	(7)	
5.	विजली वाला	355-570	490-840	(7)	
6.	परिरक्षण सहायक (क. लि.)	355-570	490-840	(7)	
7.	गूढ अक्षर वाचक (क. लि.)	355-570	490-840	(7)	
8.	ग्रन्थेपक (व. लि.)	385-650	520-925	(9)	
9.	भण्डालेख सहायक (व. लि.)	385-650	520-925	(9)	
10.	सहायक (नाशन) (कार्यालय सहायक)	450-770	625-1120	(11)	
11.	फोटोग्राफर	470-830	640-1180	(12)	

Sl. No.	NAME OF THE POST	EXISTING PAY SCALE	PAY BAND	RUNNING PAY BAND	GRADE PAY No	GRADE PAY	REMARKS
16	Superintendent for Architectural Survey	9000-14400	PB-3	15600-39100	16	6000	
17	Superintendent for Arts Survey	9000-14400	PB-3	15600-39100	16	6000	
18	Chief Archaeological Chemist	9000-14400	PB-3	15600-39100	16	6000	
19	Superintendent Jyotish Yantralaya	9000-14400	PB-3	15600-39100	16	6000	

ARCHIVES DEPARTMENT

(i) Rajasthan Archives Service

1	Assistant Director	8000-13500	PB-3	15600-39100	15	5400	
2	Deputy Director	10000-15200	PB-3	15600-39100	17	6600	
3	Director	11300-16200	PB-3	15600-39100	19	7200	

(ii) Rajasthan Archives Subordinate Service

Group 'A' Junior Posts							
1	Junior Technical Assistant	4000-6000	PB-1	5200-20200	9	2400	

Senior Posts

1	Senior Technical Assistant	5000-8000	PB-2	9300-34800	11	3200	
2	Research Assistant	5000-8000	PB-2	9300-34800	11	3200	
3	Research Scholar	5000-8000	PB-2	9300-34800	11	3200	
4	Assistant Archivist	5000-8000	PB-2	9300-34800	11	3200	
5	Research Officer	6500-10500	PB-2	9300-34800	13	4200	
6	Archivist	6500-10500	PB-2	9300-34800	13	4200	

Group 'B' Junior Posts

1	Assistant Chemist	5000-8000	PB-2	9300-34800	11	3200	
---	-------------------	-----------	------	------------	----	------	--

Senior Posts

1	Chemist	5500-9000	PB-2	9300-34800	12	3600	
2	Scientific Officer	6500-10500	PB-2	9300-34800	13	4200	

Group 'C' Junior Posts

1	Assistant Librarian	5000-8000	PB-2	9300-34800	11	3200	
---	---------------------	-----------	------	------------	----	------	--

Senior Posts

1	Librarian	5500-9000	PB-2	9300-34800	12	3600	
---	-----------	-----------	------	------------	----	------	--

(iii) Other Posts

1	Binder	2650-4000	-1S	4750-7440	3	1650	
2	Book Binder	2950-4475	PB-1	5200-20200	5	1850	
3	Preservation Assistant (LDC)	3050-4590	PB-1	5200-20200	6	1900	
4	Decipherist (LDC)	3050-4590	PB-1	5200-20200	6	1900	
5	Laboratory Asstt.	4000-6000	PB-1	5200-20200	9	2400	
6	Investigator (UDC)	4000-6000	PB-1	5200-20200	9	2400	
7	Record Assistant (UDC)	4000-6000	PB-1	5200-20200	9	2400	

AYURVED DEPARTMENT

(i) Rajasthan Ayurved Service (General Branch)

1	Homeopathic Chikitsak	8000-13500	PB-3	15600-39100	15	5400	
2	Ayurved/ Unani Chikitsak	8000-13500	PB-3	15600-39100	15	5400	
3	Varishta Chikitsak, Ayurved/ Unani/Homeopathic	—	PB-3	15600-39100	16	6000	

Upgraded w.e.f. 16-6-08. The post of District Ayurved Officer, Assistant Director and Varishta Ayurved/ Unani/ Homeopathic Chikitsak shall be equivalent in rank and interchangeable to this extent Service Rules shall stand modified.

1	2	3	4	5	6
3.	वास्तु सहायक		550-1010	740-1420	(15)
4.	सहायक आयोजना अनुसंधान अधिकारी		750-1350	1000-1860	(19)
5.	गहायक नगरीय डिजाइनर		750-1350	1000-1860	(19)
6.	आयोजना अनुसंधान अधिकारी		1150-1650	1500-2250	(22)
7.	उप वास्तुविद्		1150-1650	1500-2250	(22)
8.	वरिष्ठ आयोजना अनु संधान अधिकारी		1700-2000	2100-2500	(26)
9.	उप मुख्य नगर आयोजक		2000-2350	2400-2800	(29)
विधि रचना संगठन					
(i) राजस्थान विधि रचना सेवा					
1.	विधि रचनाकार		500-890	660-1240 (13)	✓
2.	वरिष्ठ विधि रचनाकार		620-1100	820-1550	(17) ✓
3.	विधि रचना अधिकारी		930-1500	1210-2040	(20) ✓
4.	उप सचिव, विधि रचना संगठन		1400-1900	1750-2500	(24) ✓
अनुभाग 'ग'					
विभिन्न विभागों में समान पद					
(i) सामान्य पद (सचिवालय को सम्मिलित करते हुए)					
अनुसूची में विनिर्दिष्टतः उल्लिखित को छोड़कर					
1.	चतुर्थ श्रेणी और दूसरे समतुल्य पद जिसमें अधीनस्थ सेवा नियमों में विद्यमान वेतनमान 240-290 के पद भी सम्मिलित हैं		240-290	350-430	(1)
2.	जमादार/दफ्तरी/बस्तावरदार और समतुल्य पद जिसमें अधीनस्थ सेवा नियमों में विद्यमान वेतनमान 245-310 के पद भी सम्मिलित हैं		245-310	360-460	(2)
3.	मशोन मैन		255-420	380-610	(4)
4.	चालक		355-570	490-840	(7)
(ii) शासन सचिवालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्यपाल सचिवालय, लोकायुक्त सचि- वालय, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राज. सिविल सेवा अपील अधिकरण को छोड़कर अधीनस्थ कार्यालयों में सामान्य पद					
1.	कनिष्ठ लिपिक		355-570	490-840	(7)
2.	वरिष्ठ लिपिक		385-650	520-925	(9)
3.	शीघ्र लिपिक ग्रेड II		450-770	625-1120	(11)
4.	सहायक		460-770	625-1120	(11)
5.	कार्यालय अधीक्षक ग्रेड-II		470-830	640-1180	(12)
6.	शीघ्र लिपिक ग्रेड-I		470-830	640-1180	(12)
7.	कार्यालय अधीक्षक ग्रेड-I		550-1010	740-1420	(15)
8.	वरिष्ठ निजी सहायक		550-1010	740-1420	(15)
9.	प्रशासनिक अधिकारी		620-1100	820-1550	(17)
(iii) शासन सचिवालय, रा. लो. से. आ., राज्यपाल सचिवालय, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में सामान्य पद					
1.	कनिष्ठ लिपिक		355-570	490-840	(7)
2.	वरिष्ठ लिपिक		440-770	610-1090	(10)
3.	शीघ्र लिपिक		460-770	625-1120	(11)
4.	सहायक		500-890	660-1240	(13) ✓
5.	निजी सहायक		550-1010	740-1420	(15)
6.	वरिष्ठ निजी सहायक		620-1100	820-1550	(17) ✓

Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008

[Section B-C

S No	NAME OF THE POST	EXISTING PAY SCALE	PAY BAND	RUNNING PAY BAND	GRADE PAY No	GRADE PAY	REMARKS
VIDHI RACHANA SANGTHAN							
(i) Rajasthan Vidhi Rachana Service							
1	Vidhi Rachanakar	5500-9000	PB-2	9300-34800	12	3600	
2	Varishtha Vidhi Rachanakar	6500-10500	PB-2	9300-34800	13	4200	
3	Vidhi Rachana Adhikari	10000-15200	PB-3	15600-39100	17	6600	
4	Deputy Secretary, Vidhi Rachana Sangthan	12000-16500	PB-3	15600-39100	20	7600	

Section - C

(i) Common posts in various departments excluding Government Secretariat, Governor's Secretariat, Rajasthan High Courts, Rajasthan Public Service Commission & Lokayukta Sachivalaya (Other than those specifically mentioned in Section 'B' & 'D').

(Rule No. 6)

S No	NAME OF THE POST	EXISTING PAY SCALE	PAY BAND	RUNNING PAY BAND	GRADE PAY No	GRADE PAY	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7	8
1	All posts in existing Pay Scale - 2550-3200 - e.g. Peon, Helper, Beldar etc.	2550-3200	-IS	4750-7440	1	1300	
2	All posts in existing Pay Scale - (2610-3540) e.g. Jamadar, Daftri, Record Lifter etc.	2610-3540	-IS	4750-7440	2	1400	
3	Machineman (Duplicating)	2650-4000	-IS	4750-7440	3	1650	
4	Driver	3050-4590	PB-1	5200-20200	6	1900	
5	Lower Division Clerk	3050-4590	PB-1	5200-20200	6	1900	
6	Upper Division Clerk	4000-6000	PB-1	5200-20200	9	2400	
7	Office Assistant	5000-8000	PB-2	9300-34800	11	3200	
8	Stenographer	5000-8000	PB-2	9300-34800	11	3200	
9	Office Superintendent	5500-9000	PB-2	9300-34800	12	3600	
10	Personal Assistant	5500-9000	PB-2	9300-34800	12	3600	
11	Sr. Personal Assistant	6500-10500	PB-2	9300-34800	13	4200	
12	Administrative Officer	6500-10500	PB-2	9300-34800	13	4200	
13	Private Secretary	9000-14400	PB-3	15600-39100	16	6000	

(ii) Common posts in Government Secretariat, Rajasthan Public Service Commission, Governor's Secretariat, Lokayukta Sachivalaya, Rajasthan High Court (Other than those specifically mentioned in Section 'B' & 'D').

1	All posts in existing Pay Scale - 2550-3200 - e.g. Peon, Helper, Beldar etc.	2550-3200	-IS	4750-7440	1	1300	
2	All posts in existing Pay Scale - (2610-3540) e.g. Jamadar, Daftri, Record Lifter etc.	2610-3540	-IS	4750-7440	2	1400	
3	Machineman (Duplicating)	2650-4000	-IS	4750-7440	3	1650	
4	Driver	3050-4590	PB-1	5200-20200	6	1900	
5	Lower Division Clerk	3050-4590	PB-1	5200-20200	6	1900	
6	Upper Division Clerk	4000-6000	PB-1	5200-20200	9	2400	
7	Stenographer	—	PB-2	9300-34800	11	3200	For new recruits
7	Assistant	5500-9000	PB-2	9300-34800	12	3600	
8	Stenographer	5500-9000	PB-2	9300-34800	12	3600	
9	Personal Assistant	5500-9000	PB-2	9300-34800	12	3600	The post of existing stenographer shall be merged into the post of Personal Assistant.
10	Sr. Personal Assistant	6500-10500	PB-2	9300-34800	13	4200	

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

लोकायुक्त सचिवालय

1.	कनिष्ठ शीघ्र लिपिक	460-770	625-1120	(11)
2.	अनुभागाधिकारी	620-1100	820-1550	(17)
3.	सहायक सचिव	930-1500	1210-2024	(20)

विधि विभाग

(i) राजस्थान विधिक सेवा

1.	विधि सहायक	500-890	660-1040	(13)
2.	मुख्य विधि सहायक	620-1100	820-1550	(17)
3.	सहायक विधि प्रारूपकार	930-1500	1210-2040	(20)
4.	सहायक विधि परामर्शी			
4.	उपविधि परामर्शी	1400-1900	1750-2500	(24)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

(i) राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

1.	प्राध्यापक, नर्सिंग महाविद्यालय	620-1100	820-1550	(17)
2.	सिविल सहायक सर्जन	750-1350	1000-1860	(19)
3.	वरिष्ठ प्राध्यापक, नर्सिंग- महाविद्यालय	750-1350	1000-1860	(19)
4.	प्रधानाचार्य, नर्सिंग महा- विद्यालय	930-1500	1210-2040	(20)
5.	सिविल सहायक सर्जन (चयन ग्रेड)	1000-1600	1300-2175	(21)
6.	सहायक निदेशक/मुख्य- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	1000-1600	1300-2175	(21)
7.	कनिष्ठ विशेषज्ञ	1000-1600	1300-2175	(21)
8.	वरिष्ठ विशेषज्ञ	1250-1700	1600-2325	(23)
10.	अपर निदेशक	1900-2200	2250-2600	(28)
11.	निदेशक	2500 नियत	2800 नियत	(31)

राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा)

1.	वरिष्ठ निदेशक	750-1350	1000-1860	(19)
2.	प्राध्यापक	1000-1600	1300-2175	(21)
3.	उपाचार्य	1250-1700	1600-2325	(23)
4.	प्राचार्य	1700-2000	2100-2500	(26)
5.	वरिष्ठ प्राचार्य	—	2400-2800	(29)

(ii) राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा

ग्रुप 'क'

1.	ए.एन.एम.	355-570	490-840	(7)
2.	स्टाफ नर्स	440-770	610-1090	(10)
3.	सिस्टर/नर्सिंग ट्यूटर	460-770	625-1120	(11)
4.	नर्सिंग अधीक्षक ग्रेड-II/ सहायक नर्सिंग अधीक्षक	550-1010	740-1420	(15)
5.	नर्सिंग अधीक्षक ग्रेड-I	650-1270	860-1750	(18)

S No	NAME OF THE POST	EXISTING PAY SCALE	PAY BAND	RUNNING PAY BAND	GRADE PAY No	GRADE PAY	REMARKS
LABOUR COURT & INDUSTRIAL TRIBUNAL							
1	Reader, Labour Court	5000-8000	PB-2	9300-34800	11	3200	
2	Reader, Industrial Tribunal	5000-8000	PB-2	9300-34800	11	3200	
LABOUR & WELFARE DEPARTMENT							
(i) Rajasthan Labour & Welfare Service							
1	Labour Welfare Officer	6500-10500	PB-2	9300-34800	13	4200	
2	Assistant Labour Commissioner	8000-13500	PB-3	15600-39100	15	5400	
3	Dy. Labour Commissioner	10000-15200	PB-3	15600-39100	17	6600	
4	Jt. Labour Commissioner	12000-16500	PB-3	15600-39100	20	7600	
5	Addl. Labour Commissioner	13500-17500	PB-3	15600-39100	21	8200	
(ii) Labour Inspector-Rajasthan General Subordinate Service							
1	Labour Inspector	5000-8000	PB-2	9300-34800	11	3200	
(iii) Other Posts							
1	Adult Education Teacher	3050-4590	PB-1	5200-20200	6	1900	
2	Lady Supervisor	3050-4590	PB-1	5200-20200	6	1900	
3	Games Supervisor	3050-4590	PB-1	5200-20200	6	1900	
LOKAYUKTA SACHIVALYA							
1	Section Officer	6500-10500	PB-2	9300-34800	13	4200	
2	Assistant Secretary	10000-15200	PB-3	15600-39100	17	6600	✓
3	Private Secretary to Lokayukta/ Secretary Lokayukta	10000-15200	PB-3	15600-39100	17	6600	✓
4	Assistant Librarian	6500-10500	PB-2	9300-34800	13	4200	
LAW DEPARTMENT							
1	Legal Assistant	5000-8000	PB-2	9300-34800	11	3200	✓
2	Assistant Librarian Government Advocates Office	5000-8000	PB-2	9300-34800	11	3200	
3	Head Legal Assistant	6500-10500	PB-2	9300-34800	13	4200	
4	Asstt. Legal Draftsman/Asstt. Legal Remembrancer	9000-1400	PB-3	15600-39100	16	6000	
5	Deputy Legal Remembrancer	11300-16200	PB-3	15600-39100	19	7200	
6	Joint Legal Remembrancer	13500-17500	PB-3	15600-39100	21	8200	
MAN POWER DEPARTMENT							
1	Compiler/Computer	4000-6000	PB-1	5200-20200	9	2400	
2	Investigator	5000-8000	PB-2	9300-34800	11	3200	
3	Statistical Assistant/Research Assistant	5000-8000	PB-2	9300-34800	12	3600	✓
4	Statistical Officer	6500-10500	PB-2	9300-34800	13	4200	
MEDICAL & HEALTH DEPARTMENT							
(i) Rajasthan Medical & Health Service							
1	Lecturer, College of Nursing	6500-10500	PB-2	9300-34800	13	4200	
2	Medical Officer	8000-13500	PB-3	15600-39100	15	5400	
3	Senior Lecturer College of Nursing	8000-13500	PB-3	15600-39100	15	5400	
4	Principal, College of Nursing	9000-14400	PB-3	15600-39100	16	6000	
5	Senior Medical Officer/Dy C.M.H.O. (F.W.) Health/Malaria	10000-15200	PB-3	15600-39100	17	6600	
6	Assistant Director	10000-15200	PB-3	15600-39100	17	6600	
7	Junior Specialist	10000-15200	PB-3	15600-39100	17	6600	
8	C.M.H.O. (Other than Specialist), Addl. C.M.H.O., Dy. Director, Dy. Superintendent, Dy. Controller	12000-16500	PB-3	15600-39100	20	7600	
9	Senior Specialist	12000-16500	PB-3	15600-39100	20	7600	
10 & 11	Deleted]						

1. Substituted vide Notification No. F. 11(7) FD (Rules)/2008, dated 25-2-2009 w.e.f. 1-9-2006.

2. Inserted vide Notification No. F. 11(7) FD (Rules)/2008, dated 25-2-2009 w.e.f. 1-9-2006.

3. Substituted vide Notification No. F. 14(41) FD(Rules)/2008 dated 19-11-2010.

4. Deleted S No. 10 & 11 vide Notification No. F. 14(9) FD(Rules)/2011 dated 30-8-2011 w.e.f. 11-7-2011

1	2	3	4	5	6
6.	सहायक आर्थिक वनस्पति-विज्ञ	750-1350	1000-1860	(19)	
7.	सहायक भूदा सर्वेक्षण अधिकारी	750-1350	1000-1860	(19)	
अनुभाग-IV-कृषि अभियान्त्रिकी (एस. सी. सहित)					
ग्रुप-'क'-चरिष्ठ पद					
1.	अधिशासी अभियन्ता (कृषि अभियान्त्रिकी)	1150-1650	1500-2250	(22)	
2.	अधिशासी अभियन्ता (जल-निकास मिचार्ड)	1150-1650	1500-2250	(22)	
ग्रुप-'ख'-कनिष्ठ पद					
1.	सहायक अभियन्ता (कृषि अभियान्त्रिकी)	750-1350	1000-1860	(19)	
2.	सहायक अभियन्ता (भूदा फसल)	750-1350	1000-1860	(19)	
(ii) राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा					
अनुभाग-I-विस्तार					
1.	कृषि पर्यवेक्षक	355-570	490-840	(7)	
2.	ग्राम विस्तार कार्यकर्ता	355-570	490-840	(7)	
3.	कृषि पर्यवेक्षक, चयन वेतनमान	440-70	610-1090	(10)	
4.	सहायक कृषि अधिकारी/कृषि सहायक/कृषि प्रसार अधिकारी/फार्म प्रबन्धक (जो कृषि स्नातक नहीं है)	470-830	640-1180	(12)	
5.	सहायक कृषि अधिकारी/कृषि सहायक/कृषि प्रसार अधिकारी/फार्म प्रबन्धक (कृषि स्नातकों के लिए)	550-1010	740-1420	(15)	
अनुभाग-II-कृषि सूचना					
1.	मशीन प्रचालक (डप्लीकेटिंग)	295-500	420-740	(6)	
2.	यांत्रिक	370-590	500-860	(8)	
3.	निर्देशक	385-650	520-925	(9)	
4.	अनुवादक	440-770	610-1090	(10)	उन व्यक्तियों के लिये जो भर्ती के सुसंगत नियमों के अधीन विहित अपेक्षित अर्हता न रखते हों,
		500-890	660-1240	(15)	उन व्यक्तियों के लिये जो भर्ती के सुसंगत नियमों के अधीन विहित अपेक्षित अर्हता रखते हों।
5.	प्रक शोधक	470-830	640-1180	(12)	
6.	सहायक कृषि सूचना अधिकारी	470-830	640-1180	(12)	
7.	पलफार	470-800	640-1180	(12)	
8.	प्रोस मैनेजर	590-1035	780-1460	(16)	

S No	NAME OF THE POST	EXISTING PAY SCALE	PAY BAND	RUNNING PAY BAND	GRADE PAY No	GRADE PAY	REMARKS
3	Assistant Entomologist	8000-13500	PB-3	15600-39100	15	5400	
4	Assistant Plant Pathologist	8000-13500	PB-3	15600-39100	15	5400	
5	Assistant Agriculture Chemist/ Assistant Chemist	8000-13500	PB-3	15600-39100	15	5400	
6	Assistant Economic Botanist	8000-13500	PB-3	15600-39100	15	5400	
7	Assistant Soil Survey Officer	8000-13500	PB-3	15600-39100	15	5400	
Section - V Agriculture Engineering (Including S.C.) Group- 'A' Senior Posts							
1	Executive Engineer (Agriculture Engineering)	10000-15200	PB-3	15600-39100	17	6600	
2	Executive Engineer (Drainage Irrigation)	10000-15200	PB-3	15600-39100	17	6600	
Group- 'B' Junior Posts							
1	Assistant Engineer (Agriculture)	8000-13500	PB-3	15600-39100	15	5400	
2	Assistant Engineer (Soil Crops)	8000-13500	PB-3	15600-39100	15	5400	
(ii) Rajasthan Agriculture Subordinate Service							
Section-I - Extension							
1	Agriculture Supervisor	3050-4590	PB-1	5200-20200	6	1900	
2	Village Extension Worker	3050-4590	PB-1	5200-20200	6	1900	
3	Village Extension Worker (CAD Kota)	4000-6000	PB-1	5200-20200	9	2400	
4	Assistant Agriculture Officer/ Agriculture-Assistant/Agriculture Extension Officer/Farm Manager	5500-9000	PB-2	9300-34800	11	3600	✓
Section - II - Agriculture Information Group - I							
1	Machineman (Duplicating)	2650-4000	-1S	4750-7440	3	1650	
2	Demonstrator	3400-5200	PB-1	5200-20200	8	2100	
3	Proof Reader	5000-8000	PB-2	9300-34800	11	3200	
4	Assistant Agriculture Information Officer	5000-8000	PB-2	9300-34800	11	3200	
5	Journalist	5000-8000	PB-2	9300-34800	11	3200	
6	Translator	5000-8000	PB-2	9300-34800	11	3200	
7	Press Manager	5500-9000	PB-2	9300-34800	12	3600	
8	Offset Printer	3400-5200	PB-1	5200-20200	8	2100	
9	Technician Audio Visual Production	5000-8000	PB-2	9300-34800	11	3200	
10	Technician Video	5000-8000	PB-2	9300-34800	11	3200	
11	Editor-cum-Script Writer	5500-9000	PB-2	9300-34800	12	3600	
12	Editor (Video)	5500-9000	PB-2	9300-34800	12	3600	
13	Graphic Artist	5500-9000	PB-2	9300-34800	12	3600	
14	Production Assistant	5500-9000	PB-2	9300-34800	12	3600	
Group - II							
1	Dark Room Asslt.	2950-4475	PB-1	5200-20200	5	1850	
2	Artist	3400-5200	PB-1	5200-20200	10	2800	
3	Photographer & Photographer-cum-Artist	5000-8000	PB-2	9300-34800	11	3200	
4	Offset Photo-cum-Silk Screen Production Assistant	5500-9000	PB-2	9300-34800	12	3600	
Group - III							
1	Pressman	2650-4000	-1S	4750-7440	3	1650	
2	Assistant Press Operator	2950-4475	PB-1	5200-20200	5	1850	
3	Compositor-cum-Printer	2950-4475	PB-1	5200-20200	5	1850	
4	Offset Press Operator & Press Operator	3400-5200	PB-1	5200-20200	8	2100	
5	Compositor Gr. I	4000-6000	PB-1	5200-20200	9	2400	
Group - IV							
1	Head Mechanic	4000-6000	PB-1	5200-20200	9	2400	

1. Inserted vide Notification No. F. 11(7) FD (Rules)/2008, dated 25-2-2009 (w.e.f. 1-9-2006).

1	2	3	4	5	6
		355-570	490-840	(7)	उन व्यक्तियों के लिये जो भर्ती के सुसंगत नियमों के अधीन विहित अपेक्षित अहंता रखते हों।
2. पटवारी		355-570	490-840	(7)	
3. सहायक आफिस कानूनगो		355-570	490-840	(7)	
4. पुस्तकाध्यक्ष		355-570	490-840	(7)	
5. कनिष्ठ नवशानवीस/ नवशानवीस		355-570	490-840	(7)	
6. यांत्रिक		370-590	500-860	(8)	
7. मुख्य नवशानवीस/ नवशानवीस		385-650	520-925	(9)	
8. भू-अभिलेख निरीक्षक/ आफिस कानूनगो		385-650	520-925	(9)	
9. सदर मुंस्त्रिम		470-830	640-1180	(12)	
10. कलाकार		470-830	640-1180	(12)	
11. वरिष्ठ नवशानवीस		470-830	640-1280	(12)	
12. मुख्य नवशानवीस		550-1010	740-1420	(15)	

जिला गजेटियर्स विभाग

(i) राजस्थान जिला गजेटियर्स सेवा

1. अनुसंधान अधिकारी/ सहायक निदेशक	750-1350	1000-1660	(19)
2. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	1000-1600	1300-2175	(21)
3. उपनिदेशक	1150-1650	1500-2250	(22)

(ii) अन्य पद

1. प्र. फ. शोधक (लिपिक- वर्गीय सेवा)	355-570	490-840	(7)
2. संकलन	385-650	520-925	(9)
3. फील्ड अडवैपक/कनिष्ठ तकनीकी सहायक	440-770	610-1090	(10)
4. अनुसंधान सहायक	470-830	640-1180	(12)
5. वरिष्ठ अनुसंधान सहायक	550-1010	740-1420	(15)

देवस्थान विभाग

(i) राजस्थान देवस्थान अधीनस्थ सेवा (ग्रुप-1)

1. निरीक्षक ग्रेड-II	440-770	610-1090	(10)
2. निरीक्षक ग्रेड-III	470-830	640-1180	(12)

(ii) अन्य पद

1. सेवागौर मन्दिर (पुजारी)	240-290	350-430	(1)
2. प्रबन्धक ग्रेड-II	245-310	360-460	(2)
3. प्रबन्धक ग्रेड-I			
(क) सैनेण्डरी	355-570	490-840	(7)
(ख) नॉन सैनेण्डरी	280-455	400-700	(5)
4. प्रबन्धक, देवस्थान विश्रान्ति गृह, उदयपुर	500-890	660-1240	(13)

4

Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008

[25]

Ammer

Sl. No.	NAME OF THE POST	EXISTING PAY SCALE	PAY BAND	RUNNING PAY BAND	GRADE PAY No.	GRADE PAY	REMARKS
(ii) Subordinate Service							
1	Manager Grade I (a) Non Secondary	2750-4400	PB-1	5200-20200	6	1900	
	(b) Secondary	3050-4590					
2	Inspector Grade II	5000-8000	PB-2	9300-34800	11	3200	
3	Inspector Grade I	5500-9000	PB-2	9300-34800	12	3600	
4	Pujari	2550-3200	IS	4750-7440	2	1400	
5	Manager Gr. II	2610-3540	PB-1	5200-20200	4	1800	

RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT
Rajasthan Rural Development and Panchayat Raj State & Subordinate Service

(i) State Service

1	Lecturer	6500-10500	PB-2	9300-34800	13	4200	
2	Asstt. Engineer (Civil)	-	PB-3	15600-39100	15	5400	w.e.f. 12-9-2007
3	Principal, Gram Sevak. Training Centre, Mapdore (Jodhpur)	9000-14400	PB-3	15600-39100	16	6000	
4	Executive Engineer (Civil)	-	PB-3	15600-39100	17	6600	w.e.f. 12-9-2007
5	Superintending Eng. (Civil)	-	PB-3	15600-39100	20	7600	w.e.f. 12-9-2007

(ii) Subordinate Service

1	Instructor Panchayat	5000-8000	PB-2	9300-34800	11	3200	
2	Panchayat Extension Officer	5000-8000	PB-2	9300-34800	11	3200	
3	Junior Engineer (Civil)	5000-8000	PB-2	9300-34800	11	3200	
4	Assistant Secretary Zila Parishad	5500-9000	PB-2	9300-34800	12	3600	

(iii) Other Posts

1	Bal Badi Teacher	3050-4590	PB-1	5200-20200	6	1900	
2	Artist	3400-5200	PB-1	5200-20200	8	2100	
3	Lady, Nutrition Extension Officer	4000-6000	PB-1	5200-20200	9	2400	
4	Assistant Librarian	5000-8000	PB-2	9300-34800	11	3200	
5	Assistant Instructor, Gram Sevak Training Centre Mandore (Jodhpur)	5000-8000	PB-2	9300-34800	11	3200	
6	Lecturer, Sociology/Social Service/Anthropology/Accounts-State Institute of Rural Development & Panchayati Raj, Udaipur	8000-13500	PB-3	15600-39100	15	5400	
7	Chief Instructor Panchayat	8000-13500	PB-3	15600-39100	15	5400	
8	Vice Principal State Institute of Rural Development & Panchayati Raj, Udaipur	9000-14400	PB-3	15600-39100	16	6000	
9	Deputy Director, Nutrition	10000-15200	PB-3	15600-39100	17	6600	

(iv) Rajasthan Gramin Vikas State Service

1	Vikas Adhikari	-	PB-3	15600-39100	15	5400	w.e.f. 11-4-2007
---	----------------	---	------	-------------	----	------	------------------

ECONOMICS & STATISTICAL DEPARTMENT

(i) Rajasthan Economics & Statistical Service

1	Statistical Officer	6500-10500	PB-2	9300-34800	13	4200	
2	Assistant Director	8000-13500	PB-3	15600-39100	15	5400	
3	Deputy Director	10000-15200	PB-3	15600-39100	17	6600	
4	Joint Director	10650-15850	PB-3	15600-39100	18	6800	
5	Director	12000-16500	PB-3	15600-39100	20	7600	

(ii) Rajasthan Statistical Subordinate Service

1	Computer	4000-6000	PB-1	5200-20200	9	2400	
2	Statistical Inspector	5000-8000	PB-2	9300-34800	11	3200	
3	Statistical Assistant	5000-8000	PB-2	9300-34800	12	3600	

(iii) Other Posts

1	Junior Artist	3400-5200	PB-1	5200-20200	8	2100	
2	Assistant Librarian	4000-6000	PB-1	5200-20200	9	2400	
3	Senior Artist	5000-8000	PB-2	9300-34800	11	3200	
4	Chief Artist	5500-9000	PB-2	9300-34800	12	3600	
5	Librarian	5500-9000	PB-2	9300-34800	12	3600	

- Substituted vide Notification No. F. 14(19) FD (Rules)/2008, dated 19-11-2010.
- Substituted vide Notification No. F. 11(7) FD (Rules)/2008 Pt-II, dated 9-9-2009 w.e.f. 1-9-2006 excepting where otherwise specifically provided.

52]

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित भेतनमान) नियम, 1983

[अनुसूची I

1	2	3	4	5	6
1.	जिला/सहायक रोजगार अधिकारी	590-1035	780-1460	(16)	✓
2.	सहायक निदेशक	750-1350	1000-1860	(19)	
3.	उप निदेशक	1150-1650	1500-2250	(22)	
4.	निदेशक	1550-1900	1920-2500	(25)	
(ii) कनिष्ठ रोजगार अधिकारी-राजस्थान सामान्य अधीनस्थ सेवा					
1.	नियोजन सहायक/रोजगार सहायक	460-770	625-1120	(11)	✓
2.	कनिष्ठ रोजगार अधिकारी	470-830	640-1180	(12)	
(iii) अन्य पद					
1.	मशीन मैन	255-420	380-610	(4)	
2.	प्र.फ. शोधक	355-570	490-840	(7)	
3.	संगणक	385-650	520-925	(9)	
4.	कलाकार	385-650	520-925	(9)	
निर्वाचन विभाग					
5.	यांत्रिक एवं मापरेटर	295-500	420-740	(6)	
2.	सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी	650-1270	860-1750	(18)	
3.	उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं उप निदेशक, निर्वाचन	1150-1650	1500-2250	(22)	
श्रावकारी विभाग					
(i) राजस्थान श्रावकारी सेवा (सामान्य शाखा)					
1.	सहायक श्रावकारी अधिकारी	650-1270	860-1750	(18)	
2.	जिला श्रावकारी अधिकारी	750-1350	1000-1860	(19)	
राजस्थान श्रावकारी सेवा (निवारक शाखा)					
1.	सहायक श्रावकारी अधिकारी (निवारक)	650-1270	860-1750	(18)	
2.	श्रावकारी अधिकारी (निवारक)	750-1350	1000-1860	(19)	
3.	उप श्रावकारी (निवारक)	1150-1650	1500-2250	(22)	
(ii) राजस्थान श्रावकारी अधीनस्थ सेवा (सामान्य शाखा)					
1.	निरीक्षक ग्रेड-II	440-770	610-1090	(10)	✓
2.	निरीक्षक ग्रेड-I	470-830	640-1180	(12)	✓
3.	श्रावकारी विभाग का सहायक लोक अभियोजक	470-830	640-1180	(12)	✓
(निवारक शाखा)					
1.	भारंजर	250-360	400-700	(5)	
2.	सिपाही	250-360	400-700	(5)	
3.	जमादार ग्रेड-II	280-455	490-840	(7)	
4.	जमादार ग्रेड-I	355-570	500-860	(8)	
5.	गणत अधिकारी ग्रेड-II	370-590	520-925	(9)	
6.	गणत अधिकारी ग्रेड-I	470-830	640-1180	(12)	

Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008

[41

No.	NAME OF THE POST	EXISTING PAY SCALE	PAY BAND	RUNNING PAY BAND	GRADE PAY No.	GRADE PAY	REMARKS
EMPLOYMENT EXCHANGE							
(i) Rajasthan Employment Exchange Service							
1	District Assistant Employment Officer	6500-10500	PB-2	9300-34800	13	4200	
2	Assistant Director	8000-13500	PB-3	15600-39100	15	5400	
3	Deputy Director	10000-15200	PB-3	15600-39100	17	6600	
4	Joint Director	10650-15850	PB-3	15600-39100	18	6800	
5	Director	12000-16500	PB-3	15600-39100	20	7600	
(ii) Junior Employment Officer- Rajasthan General Subordinate Service							
1	Niyajan Sahayak/Rojgar Sahayak	5000-8000	PB-2	9300-34800	11	3200	
2	Junior Employment Officer	5000-8000	PB-2	9300-34800	11	3200	
(iii) Other Posts							
1	Proof Reader	3050-4590	PB-1	5200-20200	6	1900	
2	Computer	3400-5200	PB-1	5200-20200	8	2100	
3	Artist	3400-5200	PB-1	5200-20200	8	2100	
ELECTION DEPARTMENT							
1	Mechanic-cum-Operator	2950-4475	PB-1	5200-20200	5	1850	
2	Assistant Chief Electoral Officer	6500-10500	PB-2	9300-34800	13	4200	
3	Deputy Secretary Election & Additional Chief Electoral Officer-cum-Addl. Director of Elections	11300-16200	PB-3	15600-39100	19	7200	
EXCISE DEPARTMENT							
(i) Rajasthan Excise Service (General Branch)							
1	Assistant Excise Officer	6500-10500	PB-2	9300-34800	13	4200	
2	District Excise Officer	9000-14400	PB-3	15600-39100	16	6000	
3	District Excise Officer (Senior Scale)	10000-15200	PB-3	15600-39100	17	6600	
4	Deputy Commissioner (Excise)	10000-15200	PB-3	15600-39100	17	6600	
(ii) Rajasthan Excise Service (Preventive Branch)							
1	Assistant Excise Officer (Preventive)	6500-10500	PB-2	9300-34800	13	4200	
2	Excise Officer (Preventive)	9000-14400	PB-3	15600-39100	16	6000	
3	Deputy Commissioner (Preventive)	10000-15200	PB-3	15600-39100	17	6600	
4	Additional Commissioner (Preventive)	12000-16500	PB-3	15600-39100	20	7600	
(iii) Rajasthan Excise Subordinate Service (General Branch)							
1	Inspector Grade-II	5000-8000	PB-2	9300-34800	11	3200	
2	Inspector Grade-I	5500-9000	PB-2	9300-34800	12	3600	
3	Guard	2650-4000	-IS	4750-7440	3	1650	
Preventive Branch							
1	[Deleted]						
2	Sepoy	2750-4400	PB-1	5200-20200	4	1800	
3	Armourer	3050-4590	PB-1	5200-20200	6	1900	
4	Jamadar Grade-II	3050-4590	PB-1	5200-20200	6	1900	
5	Jamadar Grade-I	3200-4900	PB-1	5200-20200	7	2000	
6	Petrolling Officer Grade-II	3400-5200	PB-1	5200-20200	8	2100	
7	Petrolling Officer Grade-I	5000-8000	PB-2	9300-34800	11	3200	
(iv) Other Posts							
1	Laboratory Assit.	4000-6000	PB-1	5200-20200	9	2400	
2	Chemical Assistant	5000-8000	PB-2	9300-34800	11	3200	
3	Assistant Chemical Examiner	8000-13500	PB-3	15600-39100	15	5400	
EVALUATION DEPARTMENT							
(i) Rajasthan Evaluation Service							
1	Evaluation Officer	6500-10500	PB-2	9300-34800	13	4200	
2	Assistant Director	8000-13500	PB-3	15600-39100	15	5400	

1. Inserted vide Notification No. F. 11(7) FD (Rules)/2008 Pt-II, dated 9-9-2009 w.e.f. 1-9-2006.
2. Deleted vide Notification No. F. 11(7) FD (Rules)/2008 Pt-II, dated 9-9-2009 w.e.f. 1-9-2006.
3. Substituted vide Notification No. F. 11(7) FD (Rules)/2008 Pt-II, dated 9-9-2009 w.e.f. 1-9-2006.

1	2	3	4	5	6
प्रायुर्वेद विभाग					
(i) राजस्थान प्रायुर्वेद सेवा					
1. वेंच ग्रेड I	550-1010	740-1420	(15)	उन व्यक्तियों के लिये जो भर्ती के सुसंगत नियमों के अधीन विहित प्रपेक्षित ग्रहंता न रखते हों।	
	620-1100	820-1550	(17)	उन व्यक्तियों के लिये जो भर्ती के सुसंगत नियमों के अधीन विहित प्रपेक्षित ग्रहंता रखते हों।	
2. जिला प्रायुर्वेद अधिकारी/सहायक निदेशक	750-1350	1000-1860	(19)		
3. उप निदेशक	930-1500	1210-2040	(20)		
4. निदेशक	1400-1900	1750-2500	(24)		
(महाविद्यालय शाखा)					
1. प्राध्यापक/सहायक फिजिशियन	750-1350	1000-1860	(19)		
2. प्राचार्य/फिजिशियन विशेषज्ञ एवं रीडर (पी. जी.)	930-1500	1210-2040	(24)		
3. प्राचार्य (पी.जी.)	1150-1650	1500-2250	(22)		
4. प्राचार्य	1250-1700	1600-2325	(23)		
(ii) राजस्थान प्रायुर्वेद अचिनस्य सेवा					
1. कम्पाउण्डर/नर्स (अप्रशिक्षित)	255-420	380-610	(4)		
2. कम्पाउण्डर/नर्स (कनिष्ठ वेतनमान)	355-570	490-840	(7)		
3. प्रयोगशाला सहायक	355-570	490-840	(7)		
4. मशीनमैन	355-570	490-840	(7)		
5. चालक	355-570	490-840	(7)		
6. प्रदर्शनी सहायक	355-570	490-840	(7)		
7. कम्पाउण्डर/नर्स (वरिष्ठ वेतनमान)	385-650	520-925	(9)		
8. प्रयोगशाला तकनीशन	385-650	520-925	(9)		
9. वेंच ग्रेड I	410-770	710-1090	(10)	उन व्यक्तियों के लिये जो भर्ती के सुसंगत नियमों के अधीन विहित प्रपेक्षित ग्रहंता न रखते हों।	
	470-830	640-1180	(12)	उन व्यक्तियों के लिये जो भर्ती के सुसंगत नियमों के अधीन विहित प्रपेक्षित ग्रहंता रखते हों।	
10. शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेश	590-1035	780-1460	(16)		
11. पुस्तकाध्यक्ष	590-1035	780-1460	(16)		
12. कलाकार एवं फोटोग्राफर	590-1035	780-1460	(16)		
(iii) अन्य पद					
1. निदेशक	620-1100	820-1550	(17)		
2. उप प्रबन्धक	750-1350	1000-1860	(19)		
3. चिकित्सा अधिकारी	750-1350	1000-1860	(19)		
4. औषधि निरीक्षक	750-1350	1000-1860	(19)		
5. विकृति विज्ञानी	750-1350	1000-1860	(19)		
6. हेडमेट	250-360	370-530	(3)		
7. अट्टेण्डेण्ट	255-420	380-610	(4)		
8. पंकर	255-420	380-610	(4)		
9. कनिष्ठ मशीनमैन	255-420	380-610	(4)		

S. No.	NAME OF THE POST	EXISTING PAY SCALE	PAY BAND	FIXED PAY BAND	GRADE PAY No.	GRADE PAY	REMARKS
16	Superintendent for Architectural Survey	9000-14400	PB-3	15600-39100	16	6000	
17	Superintendent for Arts Survey	9000-14400	PB-3	15600-39100	16	6000	
18	Chief Archaeologist and Chemist	9000-14400	PB-3	15600-39100	16	6000	
19	Superintendent Jyotish Yantralaya	9000-14400	PB-3	15600-39100	16	6000	

ARCHIVES DEPARTMENT

(i) Rajasthan Archives Service

1	Assistant Director	8000-13500	PB-3	15600-39100	15	5400	
2	Deputy Director	10000-15200	PB-3	15600-39100	17	6600	
3	Director	11300-16200	PB-3	15600-39100	19	7200	

(ii) Rajasthan Archives Subordinate Service

Group 'A' Junior Posts

1	Junior Technical Assistant	4000-6000	PB-1	5200-20200	9	2400	
---	----------------------------	-----------	------	------------	---	------	--

Senior Posts

1	Senior Technical Assistant	5000-8000	PB-2	9300-34800	11	3200	
2	Research Assistant	5000-8000	PB-2	9300-34800	11	3200	
3	Research Scholar	5000-8000	PB-2	9300-34800	12	3600	
4	Assistant Archivist	5000-8000	PB-2	9300-34800	12	3600	
5	Research Officer	6500-10500	PB-2	9300-34800	13	4200	
6	Archivist	6500-10500	PB-2	9300-34800	13	4200	

Group 'B' Junior Posts

1	Assistant Chemist	5000-8000	PB-2	9300-34800	11	3200	
---	-------------------	-----------	------	------------	----	------	--

Senior Posts

1	Chemist	5500-9000	PB-2	9300-34800	12	3600	
2	Scientific Officer	6500-10500	PB-2	9300-34800	13	4200	

Group 'C' Junior Posts

1	Assistant Librarian	5000-8000	PB-2	9300-34800	11	3200	
---	---------------------	-----------	------	------------	----	------	--

Senior Posts

1	Librarian	5500-9000	PB-2	9300-34800	12	3600	
---	-----------	-----------	------	------------	----	------	--

(iii) Other Posts

1	Binder	2650-4000	-IS	4750-7440	3	1650	
2	Book Binder	2950-4475	PB-1	5200-20200	5	1850	
3	Preservation Assistant (LDC)	3050-4590	PB-1	5200-20200	6	1900	
4	Decipherist (LDC)	3050-4590	PB-1	5200-20200	6	1900	
5	Laboratory Asstt.	4000-6000	PB-1	5200-20200	9	2400	
6	Investigator (UDC)	4000-6000	PB-1	5200-20200	9	2400	
7	Record Assistant (UDC)	4000-6000	PB-1	5200-20200	9	2400	

AYURVED DEPARTMENT

(i) Rajasthan Ayurved Service (General Branch)

1	Homoeopathic Chikitsak	8000-13500	PB-3	15600-39100	15	5400	
2	Ayurved/ Unani Chikitsak	8000-13500	PB-3	15600-39100	15	5400	
3	Varistha Chikitsak, Ayurved/ Unani/Homeopathic	—	PB-3	15600-39100	16	6000	

Upgraded w.e.f. 16-6-08. The post of District Ayurved Officer, Assistant Director and Varistha Ayurved/ Unani/ Homeopathic Chikitsak shall be equivalent in rank and interchangeable to this extent Service Rules shall stand modified.

Sl. No.	NAME OF THE POST	EXISTING PAY SCALE	PAY BAND	RUNNING PAY BAND	GRADE PAY No.	GRADE PAY	REMARKS
4	District Ayurved Officer/ Assistant Director	9000-14400	PB-3	15600-39100	16	6000	The post of District Ayurved Officer, Assistant Director and Varistha Ayurved Unani/Homeopathic Chikitsak shall be equivalent in rank and interchangeable to this extent Service Rules shall stand modified.
5.	Deputy Director	10000-15200	PB-3	15600-39100	17	6600	
6.	Director	12000-16500	PB-3	15600-39100	20	7600	
7.	Additional Director, Ayurved	11300-16200	PB-3	15600-39100	19	7200]	
(Collegiate Branch)							
1.	Lecturer/Asstt. Physician	8000-13500	PB-3	15600-39100	15	5400	
2.	Professor/Physician Specialist	10000-15200	PB-3	15600-39100	17	6600	
3.	Professor (P.G.)	10650-15850	PB-3	15600-39100	18	6800	
4.	Principal	11300-16200	PB-3	15600-39100	19	7200	
² [Nurses/Compounders Training Wing]							
1.	Lecturer	8000-13500	PB-3	15600-39100	15	5400	
2.	Principal	9000-14400	PB-3	15600-39100	16	6000]	
(ii) Rajasthan Ayurvedic Subordinate Service							
1.	Medicine Manufacturing Machine	3050-4590	PB-1	5200-20200	6	1900	
2.	Exhibition Asstt.	3050-4590	PB-1	5200-20200	6	1900	
3.	Senior Medicine manufacturing	3400-5200	PB-1	5200-20200	8	2100	
4.	Laboratory Asstt.	4000-6000	PB-1	5200-20200	9	2400	
5.	Laboratory Technician	4000-6000	PB-1	5200-20200	9	2400	
6.	Jr. Compounder/Nurse	5000-8000	PB-2	9300-34800	11	3200	
7.	Artist-cum-Photographer	5000-8000	PB-2	9300-34800	11	3200	
8.	Senior Compounder/Nurse	5500-9000	PB-2	9300-34800	12	3600	
9.	Physical Training Instructor	5500-9000	PB-2	9300-34800	12	3600	
10.	Librarian	5500-9000	PB-2	9300-34800	12	3600	
11.	Junior Ayurved/Unani Chikitsak	5500-9000	PB-2	9300-34800	12	3600	1. For persons already appointed as Vaidyas/ Hakims prior to 1-9-81 and not possessing qualifications prescribed for the post of Ayurved/Unani Chikitsak under Rajasthan Ayurvedic, Unani, Homoeopathy and Naturopathy Service Rules, 1973. 2. No fresh recruitment shall be made.
12.	Junior Homoeopathic Chikitsak	5500-9000	PB-2	9300-34800	12	3600	1. For those who possess the qualifications as prescribed under Rajasthan Ayurvedic Subordinate Service Rules, 1962. If candidates possessing qualifications prescribed under Rajasthan Ayurvedic, Unani, Homoeopathy and Naturopathy Service Rules, 1973 for the post of Homoeopathic Chikitsak are available. 2. No fresh recruitment to this post shall be made.

1. Inserted vide No. F. 11(7) FD (Rules)/2008, dated 28-3-2012 w.e.f. 1-9-2006.

2. Inserted vide Notification No. F. 11(7) FD (Rules)/2008, dated 25-2-2009 w.e.f. 1-9-2006.

1	2	3	4	5	6
2.	प्रयोगशाळा, बीघर	240-290	350-430	(1)	
3.	तकनीकी, बीघर	240-290	350-430	(1)	
4.	जिस्वसाज	245-310	360-460	(2)	
5.	हेमरमेन	245-310	360-460	(2)	
6.	मुख्य रक्षक	245-310	360-460	(2)	
7.	केरोमेन	250-360	370-530	(3)	
8.	हेल्पर	250-360	370-530	(3)	
9.	मोची	295-500	420-740	(6)	
10.	टाइमकीपर	355-570	490-840	(7)	
11.	घडिदमक	470-830	640-1180	(12)	
12.	फोटोग्राफर	470-830	640-1180	(12)	
13.	सूचना सहायक	470-830	640-1180	(12)	
14.	मण्डार सत्यापक	470-830	640-1180	(22)	
	(सिपिकवर्गीय सेवा)				
15.	घाबोजन सहायक	550-1010	740-1420	(15)	
16.	वरिष्ठ सर्वेक्षक	550-1010	740-1420	(15)	
17.	पर्यवेसक	550-1010	740-1420	(15)	
	(प्रशिक्षण)				

शासन सचिवालय

(i) राजस्थान शासन सचिवालय सेवा

✓ 1.	अनुमागधिकारी	620-1100	820-1550	(17)
2.	सहायक सचिव	930-1500	1210-2040	(20)
3.	आयुक्त/शासन सचिव के निजी सचिव	930-1500	1210-2040	(20)
4.	उप सचिव	1400-1900	1750-2500	(24)

(ii) अन्य पद

1.	हेल्पर/हेल्पर प्रिन्टरेण्ड	245-310	360-460	(2)
2.	सिप्टमेन	250-360	370-530	(3)
3.	जिस्वसाज	550-360	370-530	(3)
4.	यांत्रिक एवं घापरेटर	295-500	420-740	(6)
5.	विद्युत वायरमेन	295-500	420-740	(6)
6.	सिप्ट यांत्रिक	295-500	420-740	(6)
7.	मशीनमेन एवं यांत्रिक	295-500	420-740	(6)
8.	शाब्दा मशीन घापरेटर	295-500	420-740	(6)
9.	पोसिसर	295-500	420-740	(6)
10.	बर्ड	295-500	420-740	(6)
11.	अपहोल्टर	295-500	420-740	(6)
12.	वायरमेन	295-500	420-740	(6)
13.	रंगसाज ग्रेड-1	370-590	500-860	(8)
14.	प्र फ शीषक	440-770	610-1090	(10)
15.	सफाई निरीक्षक	440-770	610-1090	(10)
16.	सहायक पुस्तकाध्यक्ष	450-770	625-1120	(11)

S. No.	NAME OF THE POST	EXISTING PAY SCALE	PAY BAND	RUNNING PAY BAND	GRADE PAY No.	GRADE PAY	REMARKS
2	[Deleted]						
3	Overseer	5000-8000	PB-2	9300-34800	11	3200	
4	[Deleted]						
5	Information Assistant	5000-8000	PB-2	9300-34800	11	3200	
6	Store Verifier (Ministerial service)	5000-8000	PB-2	9300-34800	11	3200	
7	Planning Assistant	5500-9000	PB-2	9300-34800	12	3600	
8	[Deleted]						
9	Supervisor (Electrical/Mechanical/ Training)	5500-9000	PB-2	9300-34800	12	3600	
10	[Deleted]						

GOVERNMENT SECRETARIAT**(i) Rajasthan Secretariat Service**

1	Section Officer	6500-10500	PB-2	9300-34800	13	4200	
2	Assistant Secretary	1000-15200	PB-3	15600-39100	17	6600	
3	Private Secretary	10000-15200	PB-3	15600-39100	17	6600	
4	Deputy Secretary	12000-16500	PB-3	15600-39100	20	7600	

(ii) Other Posts

1	Book Binder	2650-4000	-IS	4750-7440	3	1650	
2	Security Guard	2650-4000	-IS	4750-7440	3	1650	
3	Mechanic-cum-Operator	2950-4475	PB-1	5200-20200	5	1850	
4	Machineman-cum-Mechanic	2950-4475	PB-1	5200-20200	5	1850	
5	Polisher	2950-4475	PB-1	5200-20200	5	1850	
6	Lift Mechanic	3050-4590	PB-1	5200-20200	6	1900	For those who possess I.T.I. Certificate
7	Bradma Machine Operator	3050-4590	PB-1	5200-20200	6	1900	
8	Wireman Grade-II-cum-Electrician	3050-4590	PB-1	5200-20200	6	1900	For those who possess I.T.I. Certificate
9	Proof Reader	4000-6000	PB-1	5200-20200	9	2400	
10	Sanitary Inspector	4000-6000	PB-1	5200-20200	9	2400	
11	Technical Assistant (Forest)	4000-6000	PB-1	5200-20200	9	2400	
12	Wireman Grade-I	4000-6000	PB-1	5200-20200	9	2400	
13	Assistant Librarian	5000-8000	PB-2	9300-34800	11	3200	
14	Electrical Assistant	5000-8000	PB-2	9300-34800	11	3200	
15	Head Proof Reader	5000-8000	PB-2	9300-34800	11	3200	
16	[Deleted]						
17	Maintenance Engineer	6500-10500	PB-2	9300-34800	13	4200	
18	[Deleted]						
19	Secretary to Government (Non IAS)	18400-22400	PB-4	37400-67000	24	10000	
20	Assistant Sports Officer	5000-8000	PB-2	9300-34800	11	3200	Dying Cadre]
21	Sports Officer	—	PB-2	9300-34800	13	4200	w.e.f. 11-2-2010]
22	Chief Security Guard	2950-4475	PB-1	5200-20200	5	1850]	

[Rajasthan Secretariat Librarian State and Subordinate Service**(i) State Service**

1	Librarian	8000-13500	PB-3	15600-39100	15	5400	
2	Sr. Librarian	10000-15200	PB-3	15600-39100	17	6600	

(ii) Subordinate Service

1	Dy. Librarian	5500-9000	PB-2	9300-34800	12	3600]	
---	---------------	-----------	------	------------	----	-------	--

GOVERNOR'S SECRETARIAT

1	Washerman	2650-4000	-IS	4750-7440	3	1650	
2	Deshi Cook. (the existing designation "Deshi Cook-II" shall be re-designated as "Deshi Cook")	2650-4000	PB-1	5200-20200	4	1800	In future 100% Direct recruitment on the post shall be made with at least 8th class pass qualification with one year experience as Cook in Government Canteen/Industrial Canteen.]

- Deleted vide Notification No. F. 11(7) FD (Rules)/2008, dated 25-2-2009 w.e.f. 1-9-2006.
- The existing entry at S. No. 20 inserted vide notification dated 25-2-2009 appearing under heading "(ii) other posts" shall be substituted and the new entry at S.No. 21 shall be inserted vide No. F. 11(7) FD (Rules)/2008 Part II, dated 3-6-2010.
- Inserted vide No. F. 11(7) FD (Rules)/2008, dated 28-3-2012 w.e.f. 1-9-2006.
- Inserted vide Notification No. F. 11(7) FD (Rules)/2008 Part II, dated 25-2-2009 w.e.f. 1-9-2006.
- Substituted vide Notification No. F. 14(1) FD (Rules)/2008, dated 25-2-2009 w.e.f. 1-9-2006.

1	2	3	4	5	6
2.	सहायक निदेशक, प्रशिक्षण/ प्राचार्य, घाई. टी. घाई.	1150-1650	1500-2250	(22)	
3.	उप शिक्षता परामर्शदाता एवं उप निदेशक प्रशिक्षण	1250-1700	1600-2325	(23)	
(ii) राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण प्रधीनस्य सेवा					
1.	अनुरक्षण यांत्रिक	355-570	490-840	(7)	
2.	मोटर चालन अनुदेशक	450-770	625-1120	(11)	
3.	कनिष्ठ अनुदेशक	500-890	660-1240	(13)	
4.	वरिष्ठ अनुदेशक	550-1010	740-1420	(15)	
5.	पुप निदेशक/सर्वेक्षक/ सहायक शिक्षता परामर्श- दाता प्र.प-II	620-1100	820-1550	(17)	
(iii) अन्य पद					
1.	होटल प्रधीक्षक एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनु- देशक	450-770	625-1120	(11)	
2.	भाषा अनुदेशक	450-770	625-1120	(11)	
3.	फोरमन	620-1100	820-1550	(17)	
4.	प्रशिक्षण एवं उत्पादन प्रभारी	1550-1650	1500-2250	(22)	
(i) राजस्थान संस्कृत शिक्षा सेवा					
1.	प्रधानाध्यापक, प्रवेशिका विद्यालय	550-1010	820-1550	(17)	
2.	प्राध्यापक प्राचार्य/ शास्त्री महाविद्यालय	590-1035	860-1750	(18)	
3.	उप निरीक्षक	650-1270	860-1750	(18)	
4.	प्राचार्य, उपाध्याय महाविद्यालय	650-1270	860-1750	(18)	
5.	प्राचार्य, शास्त्री महाविद्यालय	650-1270	860-1750	(18)	
6.	सहायक निदेशक	750-1350	1000-1860	(19)	
7.	प्रोफेसर, प्राचार्य महाविद्यालय	750-1350	1000-1860	(19)	
8.	निरीक्षक, संस्कृत शिक्षा	750-1350	1000-1860	(19)	
9.	प्राचार्य एच. टी. सी. विद्यालय	1000-1600	1300-2175	(21)	
10.	प्राचार्य, प्राध्यापक महाविद्यालय	1250-1700	1600-2325	(23)	
11.	निदेशक	1400-1900	1750-2500	(24)	
(ii) राजस्थान संस्कृत शिक्षा प्रधीनस्य सेवा					
1.	अध्यापक ग्रेड-III	355-570	490-840	(7)	

No	NAME OF THE POST	EXISTING PAY SCALE	PAY BAND	RUNNING PAY BAND	GRADE PAY No.	GRADE PAY	REMARKS
3	Dy. Apprentic-ship Advisor-cum-Dy. Director of Training	10650-15850	PB-3	15600-39100	18	6800	
4	Dy. Director Training	10650-15850	PB-3	15600-39100	18	6800	
5	Joint Director Training	12000-16500	PB-3	15600-39100	20	7600	

(iii) Rajasthan Technical Training Sub-ordinate Service

1	Motor Driving Instructor	5000-8000	PB-2	9300-34800	11	3200	
2	Junior Instructor	5000-8000	PB-2	9300-34800	11	3200	
3	Senior Instructor	5500-9000	PB-2	9300-34800	12	3600	
4	Group Instructor/Surveyor/Assistant Apprentic-ship Advisor Group-II	6500-10500	PB-2	9300-34800	13	4200	

(iv) Rajasthan Technical Education (Non-Engineering) Service

1	Lecturer	8000-13500	PB-3	15600-39100	15	5400	
2	Senior Lecturer	9000-14400	PB-3	15600-39100	16	6000	
3	Head of the Department	10000-15200	PB-3	15600-39100	17	6600	
4	Principal	10650-15850	PB-3	15600-39100	18	6800	

(iv) Other Posts

1	Machineman-Duplicating (Board of Technical Education, Rajasthan)	2650-4000	-IS	4750-7440	3	1650	
2	Laboratory Assistant	4000-6000	PB-1	5200-20200	9	2400	
3	Hostel Superintendent-cum-Physical Training Instructor	5000-8000	PB-2	9300-34800	11	3200	
4	Language Instructor	5000-8000	PB-2	9300-34800	11	3200	
5	Assistant Registrar Board of Technical Education, Rajasthan	5500-9000	PB-2	9300-34800	12	3600	
6	Foreman	6500-10500	PB-2	9300-34800	13	4200	
7	System Analyst	6500-10500	PB-2	9300-34800	13	4200	
8	Programmer	6500-10500	PB-2	9300-34800	13	4200	
9	Technical Assistant	6500-10500	PB-2	9300-34800	13	4200	
10	Training & Production Incharge	10000-15200	PB-3	15600-39100	17	6600	

SANSKRIT EDUCATION DEPARTMENT

(i) Rajasthan Sanskrit Education Service

1	Head Master, Praveshika Vidyalaya	6500-10500	PB-2	9300-34800	13	4200	
2	Deputy Inspector	6500-10500	PB-2	9300-34800	13	4200	
3	Lecturer, Acharya/Shastri College/Academic Officer (College)	8000-13500	PB-3	15600-39100	15	5400	
4	Principal, Upadhyaya College	9000-14400	PB-3	15600-39100	16	6000	
5	Principal, Shastri College	9000-14400	PB-3	15600-39100	16	6000	
6	Assistant Director	10000-15200	PB-3	15600-39100	17	6600	
7	Professor, Acharya College	10000-15200	PB-3	15600-39100	17	6600	
8	Inspector, Sanskrit Education	10000-15200	PB-3	15600-39100	17	6600	
9	Principal, S.T.C School	10650-15850	PB-3	15600-39100	18	6800	
10	Principal, Acharya College	11300-16200	PB-3	15600-39100	19	7200	
11	Director	12000-16500	PB-3	15600-39100	20	7600	

(ii) Rajasthan Sanskrit Education Subordinate Service

1	(i) Teacher Grade III	4500-7000	PB-1	5200-20200	10	2800	
	(ii) P.T.I. Grade-III	(Entry Scale)					
	(iii) Librarian Grade-III	5000-8000					
		(Senior Scale after completion of service of 10 years)					
		5500-9000 (Selection Scale after completion of service of 10 years in Senior Scale)					

In the case of Government Servants drawing pay in the existing pay scales as Sr. Scale or Selection scale, as the case may be, their fixation of pay in the running pay band and grade pay shall be made as per provisions of Rule 6(2) of these rules.

1. Inserted vide Notification No. F. 11(7) FD (Rules)/2008 Pt-II, dated 4-3-2010, w.e.f. 1-9-2006.
2. Substituted vide Notification No. F. 11(7) FD (Rules)/2008, dated 9-9-2009, w.e.f. 1-9-2006.

राजस्थान विधि सेवा के विधि अधिकारियों की शैक्षणिक योग्यता, चयन प्रक्रिया एवं कर्तव्य

1. निर्धारित शैक्षणिक योग्यता	विधि स्नातक, व्यावसायिक उपाधि
2. चयन प्रक्रिया	<p>राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा निम्न 4 प्रश्न पत्रों की लिखित परीक्षा ली जाती है ।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. भारत का संविधान । 2. सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 । 3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, परिसीमा अधिनियम 1963, संविधियों का निर्वचन, प्रारूपण एवं विलेख प्रारूप । 4. भाग -क-सामान्य अंग्रेजी, भाग -ख -सामान्य हिन्दी <p>नोट- प्रत्येक प्रश्नपत्र में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है ।</p> <p>साक्षात्कार-लिखित परीक्षा के बाद आयोग द्वारा साक्षात्कार लिया जाता है जिसके अंक लिखित परीक्षा के प्राप्ताकों में जोड़कर मेरिट सूची तैयार की जाती है ।</p>
3. कर्तव्य	<ol style="list-style-type: none"> 1. विधायी प्रारूपण सम्बन्धी कार्य यथा अधिनियमों, नियमों, विनियमों एवं उपनियमों आदि का प्रारूपण एवं उनमें संशोधन के प्रारूप बनाना । 2. विधिक मामलों का परीक्षण एवं परामर्श संबंधित कार्य । 3. नोटिस, याचिका, दावे एवं जबाब दावे इत्यादि का परीक्षण एवं परामर्श । 4. अपीलीय मामलों एवं निर्णयों का परीक्षण एवं परामर्श 5. विभागीय अन्य विशिष्ट विधिक कार्य ।

टिप्पणी (क्रमिक)

रा.सं.2

विचाराधीन पत्र का पृष्ठ 1-17/सी पर अवलोकन करे। राजस्थान विधि सेवा परिषद्, जयपुर ने माननीय विधि राज्य मंत्री महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत किया है।

माननीय विधि राज्य मंत्री महोदय ने ज्ञापन में पृष्ठ-5/सी में मार्क-'ए' पर दर्शित ग्रेड पे के संबंध में विस्तृत तथ्यात्मक टिप्पणी अनुच्छेद-1/एन से चाही है। राजस्थान विधि सेवा परिषद्, जयपुर ने अपने ज्ञापन में निवेदन किया है कि राज्य में बढ़ते हुए राजकीय वादकरण को दृष्टिगत रखते हुए वादों के सुचारु संचालन/निरस्तारण एवं प्रभावी नियंत्रण के लिए डॉ. एम.एल. सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति की अभिशंसा पर राजस्थान विधि सेवा का गठन किया गया है। इसमें कनिष्ठतम पद कनिष्ठ विधि अधिकारी (विधि सहायक) का है, जिसका वेतनमान पूर्व में सहायक वाणिज्य कर अधिकारी, सहायक पंजीयक, सहायक व रोजगार विनियम अधिकारी के समकक्ष मानते हुए वेतन की अभिशंसा की गई थी, परन्तु इस अभिशंस के अनुरूप वेतनमान स्वीकृत नहीं करके उससे कमतर सेवाओं के पद के समान वेतनमान स्वीकृत किया गया, जिसका विवरण पृष्ठ-3/सी पर अवलोकनीय है।

वर्तमान में विधि के अधिकारी सेवा के गठन के उद्देश्यों से भी अधिक अपेक्षा से कार्य सम्पादन कर रहे हैं, जिससे विभागाध्यक्ष, प्रशासनिक विभाग, बोर्ड, राजकीय उपक्रम एवं स्थानीय निकाय आदि लाभान्वित हो रहे हैं। विधि सेवा के अधिकारीगण द्वारा वादकरण संबंधी कार्य, उनका परीक्षण व परामर्श तथा विधायी प्रारूपण संबंधी कार्य किया जाता है, इसके अलावा लाईट्स की वेबसाइट का संधारण, विधिक राय हेतु प्राप्त पत्रावलियों पर नियम, अधिनियम की व्याख्या आदि का कार्य किया जाता है।

विधि सेवा के वेतनमान पांचवे वेतनमान के समय कई सेवाओं के मुकाबले उच्च वेतनमान प्रदान किया गया था। छठे वेतन आयोग के समय इस सेवा के अधिकारियों को अन्य सेवाओं के मुकाबले कम वेतनमान दिया गया है, जबकि विधि सेवा के अधिकारियों की शैक्षणिक योग्यता तकनीकी विशेषज्ञता की है। इसीलिए निम्नानुसार वेतनमान दिये जाने हेतु विधि सेवा परिषद् ने मांग की है:-

क्र. सं.	पद	वर्तमान वेतन मान मय ग्रेड-पे	वांछित वेतनमान मय ग्रेड-पे
1.	कनिष्ठ विधि अधिकारी	9300-34800 (3600/- ग्रेड पे)	9300-34800 (4200/- ग्रेड पे)
2.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	9300-34800 (4800/- ग्रेड पे)	15600-39100 (5400/- ग्रेड पे)
3.	सहायक विधि परामर्शी	15600-39100 (6000/- ग्रेड पे)	15600-39100 (6600/- ग्रेड पे)

20
विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा
सूचना को अधिकार अधिनियम, 2005
के अधीन जारी प्रकाशित प्रति

प 22(8) 2015/17

क्र. सं.	पद	टिप्पणी (कमिशन) वर्तमान वेतनमान मय ग्रेड-पे	पाठित वेतनमान मय ग्रेड-पे
4	उप विधि परामर्शी	15600-39100 (7200/- ग्रेड पे)	15600-39100 (7600/- ग्रेड पे)
5	संयुक्त विधि परामर्शी	15600-39100 (8200/- ग्रेड पे)	37400-67000 (8700/- ग्रेड पे)
6	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी	37400-67000 (8700/- ग्रेड पे)	37400-67000 (9500/- ग्रेड पे)

उपरोक्त विवरण के आधार पर विधि विभाग की अभिरक्षा के साथ वित्त विभाग को
 नवे वेतन आयोग की कमेटी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने हेतु भिजवाया जा न प्रस्तावित है।
 पुस्त-1/सी के संदर्भ में अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

विशेषाधिकारी

संयुक्त शासन सचिव

प्रमुख शासन सचिव

माननीय विधि राज्य मंत्री महोदय

आतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग

07/08/17

पुस्तक संख्या 1/12/03/17

(संयुक्त शासन सचिव)

00598/14/17

5695/P/2017

22/22/14/12

14/09/2017

विधि एवं वित्त विभाग द्वारा
 संयुक्त शासन सचिव, वित्त विभाग, 2005
 के अधीन जारी प्रस्तावित प्रति

FSIB

13/17

JSR-3

13/09/2017



राजस्थान सरकार
वित्त विभाग

प्रशासनिक विभाग को पत्रावली के अनु. 1-6/एन का परीक्षण वित्त विभाग की आन्तरिक पत्रावली क्रमांक प.14(82)वित्त/नियम/2008 पार्ट पर किया गया। प्रशासनिक विभाग के विभिन्न सेवा परिसर के वेतन वृद्धि के ज्ञापन के क्रम में वित्त (नियम) विभाग की टिप्पणी निम्नानुसार है-

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों लागू करने एवं विसंगतियों से सम्बन्धित प्रकरणों का परीक्षण करने के लिए श्री जी.सी. सामन्त सेवानिवृत्त आई.ए.एस. की अध्यक्षता में गठित पे कमेटी का कार्यकाल दिनांक 25.09.2017 को समाप्त हो चुका है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रम में राज कर्मियों के लिए नये वेतन नियम बनने के पश्चात् वेतन विसंगति निराकरण कमेटी का गठन होने पर उक्त कमेटी के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया जावे।

यह वित्त विभाग के सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

Devi
27/09/2017
(महेन्द्र सिंह भूकर)
संयुक्त शासन सचिव

प्रमुख शासन सचिव, न्याय विभाग

JS (Justice) पत्रावली विभाग के लिए
के नये सारण जालि में जा रहे हैं

JS
5-10-17
06/10/17
(मनोज कुमार व्यास)
प्रमुख सचिव वित्त

प्रमुख शासन सचिव, वित्त

JS/L
के अधिकार विभाग द्वारा
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
के अधीन जारी प्रमाणित प्रती

09.10.17

5492/PS/17
6-10-17
8
06528/PS/17
5-10-17
00528/PS/17(31)
4-10-17
10/704922
29 SEP 2017

Department of Legal Affairs and experience of litigation work if such post is in the Government Advocate Service cadre of the Department of Legal Affairs. Further, in making appointment by direct recruitment to any duty post in the Government Advocate Service cadre in the Department of Legal Affairs, the candidate should be eligible for enrollment as an advocate in the Supreme Court under the Supreme Court Rules, 1950 as amended from time to time and for registration as an Advocate-on-Record of that court under the said rules.

ii) to a person with experience in legislative drafting, if such post is in the Legislative Department.

2. Every direct recruitment to a duty post shall be in consultation with the Commission unless such consultation is not necessary under the general regulations in force in that behalf.

3. For the purposes of sub-rule (1):-

- a) in computing the period during which a person has held any office in the State Judicial Service or in the Legal department of a State or under the Central Government, there shall be included any period during which he has held any of the other aforesaid offices or any period during which he has been a legal practitioner;
- b) in computing the period during which a person has been a qualified legal practitioner, there shall be included any period during which he has hold any office in the State Judicial Service or has held a superior post in the legal department of a State or has been a Central Government servant having experience in legal affairs.

8. PROMOTIONS:-

1) A person shall not be eligible for promotion:-

- i) to a duty post in Grade I, unless he has held a duty post in Grade II for the period of not less than two years, or unless he has held duty post Grade II and Grade III for a total period of not less than six years;
- ii) to a duty post in Grade II, unless he has held a duty post in Grade III for a total period of not less than three years;
- iii) to a duty post in Grade III, unless he has held a duty post in Grade IV for a total period of not less than three years;
- iv) to a duty post in Grade IV, unless he has held one or more posts specified in the Third Schedule and possesses six years' regular service in post of Superintendent (Legal) (PB-2 Rs.9300-34,800/-

(i), (ii) & (iii)
GSR 1608
dtd. 28.9.63
[P.5-17/
notified copy]

GSR 904(E)
dtd. 27.12.11
[P. 54-55/
notified copy]

plus Grade Pay of Rs.4800/-) failing which eight years' combined regular service in the posts of Assistant (Legal) (PB-2 Rs.9300-34,800/- plus Grade Pay of Rs.4600/-) and Superintendent (Legal) (PB-2 Rs.9300-34,800/- plus Grade Pay of Rs.4800/-) out of which three years' regular service shall be in the post of Superintendent (Legal);

or

possesses seven years' regular service in the posts of Junior Central Government Advocate/Librarian Grade-I (PB-2 Rs.9300-34,800/- plus Grade Pay of Rs.4600/-):

Provided that for promotion to a duty post in Grade-IV in the Government Advocate Service Cadre in the Department of Legal Affairs, the person shall be eligible for enrolment as an advocate in the Supreme Court under the Supreme Court Rules, 1966, as amended from time to time, and for registration as an Advocate-on-Record of that Court under the said rules.

Note: 1: In the case of officers who are holding any of the posts mentioned in the Third Schedule on regular basis on the date of commencement of the Indian Legal Service (Amendment) Rules, 1987, the eligibility service for promotion to posts in Grade IV shall be three years' regular service in the feeder grade.

GSR 658
dtd. 11.8.87
[P. 34/
notified copy]

Note: 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note: 3: The eligibility list for promotion to the grade of Assistant Legal Adviser shall be prepared with reference to the date of completion of the prescribed qualifying service by the officers in the respective grade or post."

FIRST SCHEDULE
(See rules 2(c), 3(2), 12 and 14)
THE INDIAN LEGAL SERVICE
(TOTAL STRENGTH : 146)
COMPOSITION

GSR 358(E)
dtd. 10.5.08
[P. 44-50/
notified copy]

Department of Legal Affairs									
Indian Legal Service cadre of Legal Advisers in the Main Secretariat and Branch Secretariats at Mumbai, Kolkatta, Chennai and Bangalore				Indian Legal Service cadre of Law Officers in the Law Commission of India			Indian Legal Service cadre of Government Advocates in the Central Agency Section and the Branch Secretariats at Mumbai and Kolkatta		
Grade	Designation	Permanent	Temporary	Designation	Permanent	Temporary	Designation	Permanent	Temporary
I	Joint Secretary and Legal Adviser	13	Nil	Joint Secretary and Law Officer	Nil	1	Senior Government Advocate	3	Nil
II	Additional Legal Adviser	19	Nil	Additional Law Officer	Nil	2	Additional Government Advocate	8**	1
III	Deputy Legal Adviser	16	Nil	Deputy Law Officer	Nil	3	Deputy Government Advocate	3	Nil
IV	Assistant Legal Adviser	36	Nil	Assistant Law Officer	5	Nil	Assistant Government Advocate	4	Nil

The Central Government has, in exercise of the powers conferred by rule 14 of the principal rules vide its order number 81 dated 27th September, 2007 de-merged the cadre of Government Counsels in the Service in the Department of Legal Affairs and created three different cadres within that department consisting of the following cadres with duty posts as under:-

Legal Advisers Service cadre in the Main and Branch Secretariats:-

Name of the duty post	Grade	Scale of pay
Joint Secretary and Legal Adviser	Grade I	PB-4, Rs.37,400-67,000/- plus Grade Pay Rs.10,000/-
Additional Legal Adviser	Grade II	PB-4, Rs.37,400-67,000/- plus Grade Pay Rs.8,700/-
Deputy Legal Adviser	Grade III	PB-3, Rs.15,600-39,100/- plus Grade Pay Rs.7,600/-
Assistant Legal Adviser	Grade IV	PB-3, Rs.15,600-39,100/- plus Grade Pay Rs.6,600/-

GSR 275(E)
dtd. 28.3.11
[P.51-53/
notified copy]

Law Officer Service cadre in the Law Commission of India:-

Name of the duty post	Grade	Scale of pay
Joint Secretary and Law Officer	Grade I	PB-4, Rs.37,400-67,000/- plus Grade Pay Rs.10,000/-
Additional Law Officer	Grade II	PB-4, Rs.37,400-67,000/- plus Grade Pay Rs.8,700/-
Deputy Law Officer	Grade III	PB-3, Rs.15,600-39,100/- plus Grade Pay Rs.7,600/-
Assistant Law Officer	Grade IV	PB-3, Rs.15,600-39,100/- plus Grade Pay Rs.6,600/-

Government Advocate Service cadre in the Central Agency Section and Branch Secretariats in Mumbai and Kolkatta:-

Name of the duty post	Grade	Scale of pay
Senior Government Advocate	Grade I	PB-4, Rs.37,400-67,000/- plus Grade Pay Rs.10,000/-
Additional Government Advocate	Grade II	PB-4, Rs.37,400-67,000/- plus Grade Pay Rs.8,700/-
Deputy Government Advocate	Grade III	PB-3, Rs.15,600-39,100/- plus Grade Pay Rs.7,600/-
Assistant Government Advocate	Grade IV	PB-3, Rs.15,600-39,100/- plus Grade Pay Rs.6,600/-

GSR 751(E)
dtd.28.12.05
[P. 41-49/
notified copy]

Legislative Department

Grade	Designation	Permanent	Temporary	Scale of Pay
I	Joint Secretary and Legislative Counsel	5	1	PB-4, Rs.37,400-67,000/- plus Grade Pay Rs.10,000/-
II	Additional Legislative Counsel	4	Nil	PB-4, Rs.37,400-67,000/- plus Grade Pay Rs.8,700/-
III	Deputy Legislative Counsel	9	Nil	PB-3, Rs.15,600-39,100/- plus

*Comparison with the Counter Cadre
in the Central Govt*

प्रा.श.७ 95

बोधि वेतन आयोग के तन्दर्भ में भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा विधि अधिकारियों को वेतनमानों को पदवार तुलनात्मक स्थिति -

पद का नाम	भारत सरकार	बोधा वेतनमान	पद का नाम	राजस्थान सरकार	बोधा वेतनमान
संयुक्त सचिव एवं विधि क्लर्क		5900 - 6700			
द्वितीयक विधि क्लर्क		4500 - 5700	संयुक्त विधि परामर्शी		4100 - 5300
उप विधि क्लर्क		3700 - 5000	उप विधि परामर्शी		3450 - 5000
सहायक विधि क्लर्क		3000 - 4500	सहायक विधि परामर्शी/ प्रास्पेक्टर		2500 - 4250
बोधा, विधि		2375 - 3500	मुख्य विधि सहायक		2000 - 3200
सहायक, विधि		1640 - 2900	विधि सहायक		1400 - 2600

4/12/18

परिशिष्ट-25

पांचवे वेतन आयोग के संदर्भ में भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा विधि अधिकारियों को वेतनमानों की पदवार तुलनात्मक स्थिति

पद का नाम	भारत सरकार पाचवा वेतनमान	पद का नाम	राजस्थान सरकार पाचवा वेतनमान
संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार	18400 - 22400	—	—
अतिरिक्त विधि सलाहकार	14300 - 22400	संयुक्त विधि परामर्शी	13500 - 17500
उप विधि सलाहकार	12000 - 16500	उप विधि परामर्शी	11300 - 16200
सहायक विधि सलाहकार	10000 - 15200	सहायक विधि परामर्शी/प्रास्यकार	9000 - 14400
अधीन, विधि	7500 - 12000	मुख्य विधि सहायक	6500 - 10500
सहायक विधि	6500 - 10500	विधि सहायक	5000 - 8000